घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 290- शनिवार 22- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पैलेट गन मामला...राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई,दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की...

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने के बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े कथित पैलेट गन मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मामला उस युवक साहिल लोचब से जुड़ा है,जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुआ था। राहुल गांधी ने घायल युवक के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और घटना की जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। यह पूरा मामला 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से साहिल लोचब घायल हो गए थे। घटना के बाद उनकी हालत को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई थीं। घायल युवक और उसके परिवार की ओर से आरोप लगाए गए कि प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

राहुल गांधी ने दर्ज कराई एफआईआर की मांग

राहुल गांधी शुक्रवार को साहिल लोचब के साथ पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने 20 जुलाई की घटना में कथित पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी का कहना था कि घायल युवक के मामले में जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

साहिल लोचब की आंख और पेट में लगे थे छर्रे

प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचब की आंख और पेट में पैलेट यानी धातु के छर्रे लगने की बात सामने आई थी। चोट लगने के बाद उन्हें इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यहां उनकी सर्जरी की गई। परिवार की ओर से बताया गया था कि लोचब की दाईं आंख में गंभीर चोट आई है और इसकी वजह से उनकी आंख की रोशनी प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था।

मामले की जांच से सामने आएगी पूरी सच्चाई

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचब को चोट कैसे लगी। साथ ही कथित पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया, इसकी भी जांच की जाएगी। घटनास्थल के वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड जांच का अहम हिस्सा बन सकते हैं। पुलिस के सामने आरोपों की पुष्टि करने और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने की चुनौती होगी।

हालांकि, उनकी मांग पर तत्काल मामला दर्ज नहीं किया गया,जिसके बाद वे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे।

डीसीपी से मुलाकात के बाद थाने के बाहर धरना

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात की। बातचीत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर कांग्रेस नेता पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती,तब तक वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। राहुल गांधी के धरने के बाद मामला तेजी से राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

दबाव के बीच अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

राहुल गांधी के धरने और कांग्रेस नेताओं की सक्रियता के बीच दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कथित पैलेट गन मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियों के सामने अब घटना की परिस्थितियों, पैलेट गन के कथित इस्तेमाल और घायल युवक को लगी चोटों के स्रोत का पता लगाने की चुनौती होगी।

3 साल की वकालत खत्म! सुप्रीम कोर्ट ने जज बनने के नियम में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। याचिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। साथ ही, 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होने वाली परीक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बिना अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी विशेष राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। अदालत ने समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले तय की गई 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त में संशोधन किया है।

अब जज बनने के लिए कितने साल की वकालत जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले के मुताबिक, भविष्य में एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवार को 1 साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी होगा। यानी मई 2025 में तय की गई 3 साल की अनिवार्य प्रैक्टिस की शर्त अब घटकर 1 साल रह गई है। हालांकि, अदालत ने नए नियम को लागू करने के लिए ट्रांजिशन पीरियड भी दिया है। जिन न्यायिक सेवा परीक्षाओं के नोटिफिकेशन 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होंगे, उनमें बिना वकालत के अनुभव वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें सीधे जज के

पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें पहले एक साल तक ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर के तौर पर काम करना होगा। इसके साथ उन्हें एक साल की स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप भी पूरी करनी होगी।

1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नया नियम

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,जिन न्यायिक सेवा परीक्षाओं के नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होंगे, उन पर संशोधित नियम पूरी तरह लागू होगा। इसके बाद परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 1 साल की वकालत का अनुभव होना जरूरी होगा।

कोर्ट ने क्यों घटाई 3 साल की शर्त?

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मई 2025 में बिना किसी ट्रांजिशन पीरियड के अचानक 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता लागू करने से नए लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के सामने मुश्किलें पैदा हुई थीं। अदालत ने यह भी माना कि जज बनने के लिए वकालत के पेशे का अनुभव जरूरी है। हालांकि, इस तरह का नियम लागू करते समय युवाओं को अचानक असुविधा में नहीं डाला जाना चाहिए।

इनकम टैक्स का एक्शन...कार से 9 करोड़ नकद जब्त,सर्राफ हिरासत में

बेंगलुरु,21 अगस्त 2026। इनकम टैक्स अधिकारियों ने शुक्रवार को बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वीरनसांद्रा सिग्नल के पास केरल में रजिस्टर्ड एक कार से करीब 9 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस को गाड़ी में भारी मात्रा में कैश के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसके बाद कैश मिला और उसे जब्त कर लिया गया। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह कैश एक सोने के व्यापारी का था,जिसकी ज्वेलरी की दुकान है और बताया जाता है कि वह तमिलनाडु के थूथुकुड़ी का रहने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोने के व्यापारी के घर पर भी तलाशी ली थी, जहाँ अधिकारियों को कथित तौर पर 1.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कैश मिला। इस जब्ती के सिलसिले में पूछताछ के लिए सोने की दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है। इनकम टैक्स अधिकारी पैसे के स्रोत और उसे किस मकसद से ले जाया जा रहा था, इसकी जांच कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, जब्त किया गया कैश केरल में रजिस्टर्ड एक कार में ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया। इस मामले से जुड़ी और जानकारी, जैसे कि पैसे कहां से आए थे और कहाँ ले जाए जा रहे थे,

अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि 27 जून को बेंगलुरु पुलिस ने बिना कागजात वाला 2.98 करोड़ रुपये का कैश जब्त किया था और दो कारोबारियों को गिरफ़्तार किया था। कैश जब्त करने की एक बड़ी कार्रवाई में,महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने कुरुबाराहल्ली में एक शेड से बिना कागज़ात वाला 2,98,00,900 रुपये का कैश बरामद किया। चार बैगों में भरा यह कैश बिना किसी वैध कागज़ात के रखा गया था। 2024 की एक पिछली घटना में बेलगावी की सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस (सीसीबी) ने बिना कागज़ात के गैर-कानूनी तरीके से ले जाए जा रहे 2,73,27,500 रुपये नकद जब्त किए। यह कैश सांगली (महाराष्ट्र) से हुबली (कर्नाटक) ले जाया जा रहा था।

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता को पीटा,मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम

अभिजीत दीपके बोले...मारपीट करने वाले गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया,तो मैं जयपुर आऊंगा

जयपुर,21 अगस्त 2026। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉकरोच जनता पार्टी) प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ है। रांका शुक्रवार सुबह 10 बजे सीतापुरा के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। रांका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा...हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़े गए, एक महिला से मारपीट हुई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। टीम के एक

सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। रांका ने कहा...आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी हो और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और दिलावर के इस्तीफे की मांग करेंगे।' कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा- अगर अगले 48 घंटों में स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो मैं जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा, जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम नहीं किया जाता है।

जर्जर बिल्डिंग के कारण स्कूल बंद,टीनशेड के नीचे पढ़ रहे बच्चे

रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। स्कूल को बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। छत पर लोहे के एंगल लगाए गए हैं। स्कूल को 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे जहां पढ़ रहे हैं,उसके पास पशुओं का चारा भरा है। दीवारों की ईंटें गिर गई हैं।

ग्रामीण बोला...250 लोग सरिए-आरी लेकर आए...

ग्रामीण जुगल किशोर शर्मा ने कहा...'हमने कुछ नहीं किया। वे सरिए-आरी लेकर आए। कम से कम 200-250 लोग आए थे। हमने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने खुद अपनी गाड़ी तोड़ ली। हम यहां भाजपा या कांग्रेस के अलावा किसी को घुसने नहीं देंगे।'

ग्रामीण बोले...किसी बाहरी को घुसने नहीं देंगे...

ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है, 'हम इस स्कूल को अपने स्तर पर ठीक करवा लेंगे। सरकार ने 12.50 लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिए हैं। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां नहीं आने देंगे। कॉकरोच यहां आकर गंदगी करना चाहते हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

सिम कार्ड नियम : 24 अगस्त से सख्त होगी व्यवस्था लिमिट पूरी होने पर नया नंबर लेना होगा मुश्किल

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। मोबाइल यूजर्स के लिए 24 अगस्त से सिम कार्ड को लेकर नियमों में अहम बदलाव होने जा रहा है। हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम पर रखे जा सकने वाले सिम कार्ड की मौजूदा सीमा में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब नया कनेक्शन जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच करेंगी।

कितने सिम कार्ड रख सकते हैं? देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 सिम कार्ड है। निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद नया कनेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है।

24 अगस्त से क्या होगा? नया सिम लेते समय टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहक के नाम पर पहले से सक्रिय कनेक्शनों का रिकॉर्ड जांचेंगे। अलग-अलग कंपनियों से सिम लेकर निर्धारित सीमा पार करने की संभावना को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

डीआईपी से होगी कनेक्शनों की निगरानी : इस प्रक्रिया में Digital Intelligence Platform (DIP) की भूमिका अहम होगी। प्लेटफॉर्म के जरिए यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी व्यक्ति की पहचान पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान से जारी सिम और उनके जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है।

लिमिट से ज्यादा नंबर मिलने पर कार्रवाई : यदि किसी तकनीकी समस्या या अन्य कारण से निर्धारित सीमा से अधिक सिम सक्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित नंबरों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने और मामला स्पष्ट होने तक सेवाएं प्रभावित रहने का प्रावधान बताया गया है।

टेलीकॉम कंपनियों को अपने आंतरिक सिस्टम को Digital Intelligence Platform से जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। सरकार का मकसद मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी मजबूत करना और फर्जी सिम के जरिए होने वाले साइबर फ्रॉड को रोकना है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन 22 साल पुराने केस में बरी,कोर्ट ने कहा...सबूत पर्याप्त नहीं

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन को करीब 22 साल पुराने फर्जी वीजा और यात्रा दस्तावेज से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं माना और उन्हें बरी कर दिया। मामले में अभियोजन का आरोप था कि मार्टिन ने एक व्यक्ति को क्रिकेट क्लब के सदस्य के रूप में ब्रिटेन भेजने की व्यवस्था में भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उसके दस्तावेजों पर फर्जी इमिग्रेशन स्टांप का मामला सामने आया था।

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, मामला उस व्यक्ति से जुड़ा था जो क्रिकेट टूर के जरिए ब्रिटेन गया था। बाद में उसके पासपोर्ट पर मौजूद यूके इमिग्रेशन स्टांप को फर्जी पाया गया।

समुद्री डाकुओं का आतंक...दो जहाज हाईजैक 22 भारतीयों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। समुद्री क्षेत्र से भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यमन और सोमालिया के तटों के पास दो अलग-अलग वाणिज्यिक जहाजों के समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण किए जाने की जानकारी मिली है। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक चालक दल के सदस्य के रूप में सवार थे। हालांकि, नौवहन और सुरक्षा एजेंसियों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार सभी भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

अदन की खाड़ी में तेल टैंकर का अपहरण : शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पहली घटना 20 अगस्त को सामने आई। एरिट्रिया के झंडे वाला तेल टैंकर एमटी सिबू 1 अदन की खाड़ी में यमन के तट से करीब 30 समुद्री मील की दूरी पर था। इसी दौरान सशस्त्र समुद्री डाकुओं ने

कथित तौर पर जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज में कुल 20 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं।

16 भारतीयों की सुरक्षा पर नजर : एमटी सिबू 1 के अपहरण की जानकारी सामने आने के बाद भारतीय अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर जहाज और उसके चालक दल की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी प्राथमिकता जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन सभी की सुरक्षा को लेकर राहत की बात सामने आई है। दूसरी घटना इससे कुछ दिन पहले 17 अगस्त को हुई थी। कैमरून के झंडे वाला मालवाहक जहाज एम/वी एलयूटीयूएफ सोमालिया के पुंटलैंड तट के नजदीक समुद्री डाकुओं के कब्जे में चला गया। इस जहाज में कुल 10 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें छह भारतीय नागरिक शामिल थे।

लाल ट्रॉली बैग में बंद आयुषी की आत्मा को 4 साल बाद मिला इंसाफ,कोर्ट ने माता-पिता को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मथुरा,21 अगस्त 2026। मथुरा के बहुचर्चित आयुषी यादव हत्याकांड में करीब चार साल बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसके माता-पिता को हत्या का दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार यादव की अदालत ने पिता नितेश यादव और मां ब्रजबाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रॉली बैग में मिला था शव : मामला 18 नवंबर 2022 का है। राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के लिंक रोड स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के पास लाल रंग के ट्रॉली बैग में 21 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती के सिर और सीने पर गोली के निशान थे। इसके अलावा सिर,हाथ और पैरों पर चोट के निशान भी मिले थे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान दिल्ली नंबर की एक कार से शव फेंके जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

तीन दिन बाद हुई थी आयुषी की पहचान : 21 नवंबर 2022 को मृतका की पहचान दिल्ली के बदरपुर मोड़ बंद एक्सटेंशन निवासी 21 वर्षीय आयुषी यादव के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि आयुषी ने 13 अक्टूबर 2022 को दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में छत्रपाल गुर्जर से प्रेम विवाह किया था। पुलिस के

मुताबिक, आयुषी के प्रेम विवाह से उसके माता-पिता नाराज थे। आरोप है कि बेटी के पति से अलग होने से इनकार करने पर पिता नितेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच के अनुसार, हत्या के बाद आयुषी के शव को ट्रॉली बैग में रखा गया। इसके बाद नितेश यादव और ब्रजबाला कार से शव लेकर मथुरा पहुंचे और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे उसे फेंककर वापस लौट गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। हालांकि, कुछ समय बाद दोनों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

11 गवाहों की गवाही और साक्ष्य रहे अहम : मुकदमे की सुनवाई के दौरान आयुषी के पति छत्रपाल गुर्जर समेत 11 गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता यादव के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्य और गवाहों की गवाही दोष सिद्ध करने में अहम रही।

कोर्ट के फैसले के बाद जेल भेजे गए दोनों दोषी : विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अरविंद कुमार यादव की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नितेश यादव और ब्रजबाला को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया। करीब चार साल से चर्चा में रहे इस हत्याकांड में अदालत के फैसले से आखिरकार आयुषी को न्याय मिल गया।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति

नीट-यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पांच सदस्यीय समिति गठित की गई,उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समय सीमा तय की जाती।

निःसंदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लैस यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे,ताकि उन कारणों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके,जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सीजेपी समर्थकों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति निकाले जा रहे सीजेपी के संसद मार्च को संसद परिसर जाने देना चाहिए था-और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था?

यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे रोके। हाल में झारखंड में यही किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे,इसे किसी समिति के लिए तय कर पाना कठिन है,भले ही वह कितनी भी उच्चाधिकार प्राप्त हो। यह तो मौके पर मौजूद पुलिस ही भीड़ के रुख-रवैये के आधार पर तय कर सकती है।

ऐसे में उचित यही होगा कि यह समिति धरना-प्रदर्शन का प्रोटोकाल तय करे, जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सीजेपी और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी। वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी।

ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है,क्योंकि सीजेपी के साथ विपक्षी दलों ने एक ऐसा माहौल बनाया,मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया,वह बिल्कुल शांत एवं संयमित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे,लाठियां चलाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था,यह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान जहां पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए,वहीं अनेक पुलिसकर्मी भी घायल हुए,क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था।

बढ़ती कीमतें और भारतीय जन-मानस

संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

मानवीय अहंकार के परिणाम स्वरूप अमेरिका-ईरान-इजरायल और यूक्रेन रूस युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगभग विश्व के हर देश में बढ़ गए हैं। इसी परिपेक्ष में भारत में भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के करण भारतीय मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना बृहद रूप में प्रभावित हुई है । पेट्रोल में एथेनॉल मिलने के कारण गन्ने की कीमतों में इजाफा हुआ है और गन्ने की कीमतों में मिर्जापुर होने से शक्कर प्रति किलो 25 से 30 रुपए महंगी हो गई और महंगाई ने मध्यमवर्गीय परिवार के बजट की खबर तोड़कर रख दिए एक बार महंगाई बढ़ती है तो वापस काम नहीं होती है। अमेरिका-ईरान तनाव,रूस-यूक्रेन युद्ध तथा मध्य-पूर्व में इजरायल से जुड़े संघर्षों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि ने लगभग प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा।पेट्रोल,डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने विशेष रूप से भारतीय मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव घरेलू बाजार पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने के साधन नहीं हैं,बल्कि वे संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं। परिवहन,कृषि,उद्योग,व्यापार और सेवा क्षेत्र लगभग सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर हैं।

डीजल की कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। देश में अधिकांश माल ढुलाई ट्रकों के माध्यम से होती है। जब डीजल महंगा होता है,तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि खाद्यान्न,फल-सब्जियां,दूध,दालें, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें स्वतः बढ़ने लगती हैं। व्यापारी अतिरिक्त लागत का भार अंततः उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इस प्रकार महंगाई का एक ऐसा चक्र प्रारंभ हो जाता है,जिससे सामान्य नागरिक बच नहीं पाता।

भारतीय मध्यम वर्ग पहले से ही शिक्षा,स्वास्थ्य,आवास और रोजगार संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने उसकी मासिक आय और व्यय के संतुलन को और बिगाड़ दिया है। जिन परिवारों के पास निजी वाहन हैं,उनके लिए कार्यालय,विद्यालय और अन्य आवश्यक यात्राओं का खर्च बढ़ गया है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप परिवारों को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच समझौता करना पड़ रहा है।

महंगाई का सामाजिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं है। जब आय स्थिर हो और खर्च लगातार बढ़ता जाए,तो परिवारों में तनाव बढ़ने लगता है। आर्थिक दबाव पारिवारिक संबंधों, सामाजिक सहभागिता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मध्यम वर्ग,जो समाज की स्थिरता और विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है,स्वयं असुरक्षा और भविष्य की चिंताओं से घिर जाता है।

कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। डीजल से चलने वाले पंप,ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की लागत बढ़ने से खेती महंगी हो गई है। उत्पादन लागत बढ़ने पर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य चाहते हैं,जिससे बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस प्रकार महंगाई का प्रभाव खेत से लेकर थाली तक दिखाई देता है।

अर्थशास्त्री लंबे समय से कहते रहे हैं कि ऊर्जा की कीमतें किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अनेक अवसरों पर ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक बताया था। वहीं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी विकास को केवल आय वृद्धि नहीं बल्कि जीवन-स्तर की गुणवत्ता से जोड़कर देखा है। यदि बढ़ती महंगाई लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है,तो विकास का वास्तविक लाभ समाज तक नहीं पहुंच पाता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध और संघर्ष की राजनीति के स्थान पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों,सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। सौर ऊर्जा,जैव ईंधन और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सकती है। बढ़ती पेट्रोलियम कीमतें केवल आर्थिक समस्या नहीं हैं,बल्कि वे सामाजिक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई हैं। युद्धों और वैश्विक तनावों की कीमत अंततः आम नागरिक चुकाता है। इसलिए विश्व शांति,ऊर्जा सुरक्षा और संतुलित आर्थिक नीतियां ही मध्यम वर्ग को राहत प्रदान कर सकती हैं। जब तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक महंगाई का दबाव भारतीय मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता रहेगा।

आस्था का सम्मान,लेकिन गलत बातों पर सवाल जरूरी

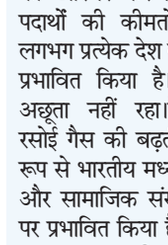

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

धर्म मनुष्य के जीवन में केवल पूजा-पद्धति या कर्मकांड का विषय नहीं है। वह उसकी आस्था,संस्कृति,नैतिकता, परंपरा और जीवन-दृष्टि से जुड़ा हुआ विषय है। धार्मिक ग्रंथों ने हजारों वर्षों से समाज को नैतिक मूल्यों,कर्तव्य, करुणा,संयम,सत्य और परोपकार का संदेश दिया है। यही कारण है कि करोड़ों लोग धार्मिक पुस्तकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी भी पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए,बिना संदर्भ समझे और बिना तर्क की कसौटी पर परखे स्वीकार कर लिया जाए।

आज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि क्या धार्मिक पुस्तकों में लिखी हर बात को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए? यदि किसी कथन में ऐतिहासिक परिस्थिति की छाप है,यदि वह किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है,यदि उसका अर्थ आज के संदर्भ में अलग हो गया है या यदि किसी कथन की व्याख्या मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो उस पर सवाल उठाना क्या धर्म-विरोध है? निश्चित रूप से नहीं। सवाल करना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और स्वस्थ समाज की पहचान भी।

धर्म और आलोचनात्मक चिंतन को एक-दूसरे का विरोधी मानना एक बड़ी भूल है। आस्था व्यक्ति का निजी विश्वास हो सकती है,लेकिन जब किसी धार्मिक विचार की व्याख्या सार्वजनिक जीवन, कानून,शिक्षा,सामाजिक संबंधों या नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने लगे,तब उस विचार पर सार्वजनिक विमर्श स्वाभाविक और आवश्यक हो जाता है। लोकतंत्र में किसी विचार को केवल इसलिए आलोचना से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वह धार्मिक संदर्भ से आया है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा–धर्म की आलोचना और धार्मिक व्यक्ति का अपमान अलग-अलग बातें हैं। किसी धार्मिक पुस्तक के किसी कथन, उसकी व्याख्या या उसके सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न उठाना किसी धर्मावलंबी के सम्मान को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। आलोचना विचार की होनी चाहिए,व्यक्ति की नहीं। तर्क का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए,भावनात्मक आक्रोश से नहीं।

हमारे समाज में अक्सर यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जब किसी धार्मिक ग्रंथ की किसी बात पर प्रश्न उठता है तो चर्चा का केंद्र उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछने वाले की नीयत बन जाती है। उसे धर्म-विरोधी,परंपरा-विरोधी या समाज-विरोधी कह दिया जाता है। इससे संवाद बंद होता है और कट्टरता बढ़ती है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है तो उसे शांतिपूर्वक सामने रखा जाना चाहिए। यदि किसी कथन की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। और यदि कोई बात ऐतिहासिक संदर्भ में थी,तो उसके संदर्भ को समझाया जाना चाहिए।

धार्मिक ग्रंथों को उनके समय और परिस्थितियों से काटकर पढ़ना भी समस्या पैदा कर सकता है। हजारों वर्ष पहले का समाज आज के समाज जैसा नहीं था। उस समय की सामाजिक संरचना,शासन व्यवस्था,शिक्षा,विज्ञान, परिवार व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियाँ अलग थीं। इसलिए किसी प्राचीन कथन का अर्थ समझने के लिए उसके मूल संदर्भ,भाषा,प्रतीकों और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। आधुनिक समय में उसी कथन की शाब्दिक व्याख्या करने से कई बार ऐसी धारणाएँ पैदा हो सकती हैं जो मूल संदर्भ से बिल्कुल अलग हों। इसीलिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन केवल श्रद्धा से नहीं,बल्कि ज्ञान, इतिहास,भाषा और दर्शन की दृष्टि से भी होना चाहिए। श्रद्धा मनुष्य को प्रेरणा देती है,जबकि विवेक उसे सही अर्थ समझने में सहायता करता है। दोनों का संतुलन समाज को अधिक परिपक्व बनाता है।

सबसे संवेदनशील विषय तब सामने आता है जब किसी धार्मिक कथन की व्याख्या के आधार पर स्त्री-पुरुष असमानता,जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता,हिंसा, सामाजिक बहिष्कार या किसी वर्ग के प्रति घृणा को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद समानता,स्वतंत्रता,गरिमा और न्याय पर है। इसलिए कोई भी व्याख्या यदि मनुष्य की गरिमा को कम करती है तो उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

यहाँ संविधान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग धर्म,संप्रदाय,भाषाएँ और परंपराएँ साथ-साथ रहती हैं। हमारा सामाजिक जीवन किसी एक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर नहीं,बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर संचालित होता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था का अधिकार है,लेकिन साथ ही दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना भी आवश्यक है।

इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक चिंतन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। किसी को अपनी आस्था रखने से रोका नहीं जाना चाहिए और किसी को अपनी आस्था के नाम पर दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।

एक और चुनौती है–धार्मिक ग्रंथों की मनमानी व्याख्या। कई बार मूल पुस्तक से अधिक प्रभाव उसकी व्याख्या करने वालों का होता है। एक ही कथन की अलग-अलग विद्वान अलग व्याख्या करते हैं। कोई उसे प्रतीकात्मक मानता है, कोई ऐतिहासिक, कोई आध्यात्मिक और कोई शाब्दिक। ऐसे में यह कहना कि केवल एक व्याख्या ही अंतिम सत्य है, बौद्धिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता।

समाज में धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य भी केवल यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति क्या माने,बल्कि यह भी होना चाहिए कि वह क्यों माने। यदि बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उनकी आस्था समाप्त नहीं होगी;बल्कि संभव है कि उनकी समझ अधिक गहरी हो जाए। जिस विश्वास को प्रश्नों से डर लगता है,वह विश्वास कमजोर हो सकता है; लेकिन जो विश्वास प्रश्नों का सामना कर सकता है, वह अधिक परिपक्व और मजबूत बनता है। आज डिजिटल युग में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक पुस्तकों के नाम पर आधे-अधूरे उद्धरण, गलत अनुवाद और संदर्भ से काटे गए कथन तेजी से फैलते हैं। लोग कई बार मूल ग्रंथ देखे बिना ही किसी वायरल पोस्ट को सत्य मान लेते हैं। इससे धार्मिक विवाद पैदा होते हैं और सामाजिक तनाव बढ़ता है। इसलिए किसी कथन पर आपत्ति करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह वास्तव में मूल ग्रंथ में है भी या नहीं, उसका सही अनुवाद क्या है और उसके आगे-पीछे का संदर्भ क्या है।

आलोचना करने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। यदि वह किसी धार्मिक पुस्तक के किसी कथन पर सवाल उठा रहा है तो उसे प्रमाण,संदर्भ और तर्क के साथ बात रखनी चाहिए। जानबूझकर गलत उद्धरण देना,किसी धर्म के अनुयायियों को अपमानित करना या धार्मिक भावनाओं को भड़काना आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। वह केवल विवाद पैदा करना है।

गूगल गुरु हो गए,घर-मोहल्ले के बुजुर्गों के अनुभव से परहेज

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

मोहल्ले के नुक्कड़ पर बिछी वह लकड़ी की बेंच आज भी वहीं है,लेकिन उस पर बैठने वाले खादी के कुर्ते और सफेद धोती वाले वे बाबा अब कहीं दिखाई नहीं देते। वे बुजुर्ग,जिनकी आंखें पूरे मोहल्ले के लिए पहरेदार का काम करती थीं, आज आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खो गए हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब मां-बाप घर के भीतर सो रहे होते थे,तब यही बुजुर्ग गली के मोड़ पर बैठकर हर आते-जाते बच्चे पर अपनी पैनी नजर रखते थे। किसी बच्चे का हाथ साइकिल के पैडल से फिसला नहीं कि उनकी तरफ से एक चीख गूंज उठती थी,संभलकर चल। स्कूल बंक करके कंचे खेलने वाले या किसी बाग से अमरूद चुराने वाले बच्चों के लिए वे साक्षात यमराज की तरह प्रकट हो जाते थे। गलती देखते ही वहीं डांट लगाना,कान उमठना और फिर शाम को सीधे उस बच्चे के घर पहुंचकर उसके मां-बाप को आगाह करना उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा था। वे इसे अपना अधिकार और सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी मानते थे। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जब वे घर पर शिकायत लेकर पहुंचते थे,तो कोई मां-बाप उनसे लड़ता नहीं था। समाज में एक अटूट विश्वास था कि अगर मोहल्ले के किसी बुजुर्ग ने बच्चे को टोका है,तो वह बच्चे के भले के लिए ही होगा। मां-बाप उनकी बातों को पूरे सम्मान के साथ सुनते,उनका आभार जताते और फिर अपने बच्चे को समझाते-बुझाते थे। पूरा मोहल्ला एक संयुक्त परिवार की तरह सांस लेता था, जहां हर बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा होता था। लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घूमा कि मोहल्ले तो दूर,खुद घर के भीतर भी बच्चों को कुछ समझाने या टोकने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता। आधुनिकता के नाम पर हमने जिस नई दुनिया का निर्माण किया है,उसने हमारे रहने के ढंग के साथ-साथ हमारी सोच को भी पूरी तरह बदल दिया है। पुराने आत्मीय मोहल्लों का स्वरूप अब तेजी से सिकुड़ रहा है और उनकी जगह चमचमाती कंक्रीट की कॉलोनियों और गगनचुंबी अपार्टमेंट्स ने ले ली है। इन बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स के बंद फ्लैटों में लोग खुद को कैद कर चुके हैं। आज की स्थिति यह है कि एक ही मंजिल पर रहने वाला पड़ोसी सालों-साल दूसरे पड़ोसी का नाम तक नहीं जानता। हर घर के दरवाजे पर एक अदृश्य बोर्ड टंगा है,जिस पर लिखा है कि कृपया हमारे निजी जीवन में दखल न दें। इस तथाकथित प्राइवेसी या निजता की संस्कृति ने समाज के उस ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है,जो कभी हमें एक सूत्र में बांधकर रखता था। जब पड़ोसी ही पड़ोसी से बेगाना हो गया,तो भला कोई किसी के बच्चे की गलती पर जुबान खोलने का जोखिम क्यों उठाएगा। आज अगर कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को उसकी भलाई के लिए भी टोक दे,तो बच्चे के माता-पिता ही लाठी-डंडा लेकर या पुलिस की धमकी देते हुए बुजुर्ग के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को बोलने की हिम्मत कैसे की। यह बदलाव किसी एक व्यक्ति,परिवार या मोहल्ले की निजी समस्या नहीं है,बल्कि यह एक गहरे सामाजिक पतन की शुरुआत है, जिसका खामियाजा आज देश और समाज दोनों को भुगतना पड़ रहा है। इसका सबसे जीवंत और डरावना प्रमाण हमें देश की राजधानी के जंतर-मंतर जैसे संवेदनशील स्थलों पर देखने को मिलता है। जंतर-मंतर पर जब युवा और बच्चे किसी आंदोलन या धरने के नाम पर इकट्ठा होते हैं,तो वहां से निकलने वाली गालियां और अमर्यादित भाषा सुनकर रूह कांप जाती है।

हिंदी कविताये

ई-अटेंडेंस का जमाना है...

संजय एम तराणेकर
इन्दौर,
मध्यप्रदेश

शिक्षक बोले...बारिश का
बहाना है,ज़रा देर लगेगी,
प्राचार्य कहे-ये ई अटेंडेंस का
जमाना एब्सेंट लगेगी।
छाता लेकर निकले गुरुजी,
राहों में बादल घिर आए,
स्कूल पहुँचते-पहुँचते जूते भी
कीचड़ में धँस जाएँ।
बोले-प्रकृति ने आज फिर
मुश्किल बड़ी खड़ी की है,
प्राचार्य ने कहा...मगर मशीन ने
हाजिरी पकड़ ली है!
कक्षा में बच्चे पूछें...
आदरणीयजी,आज पढ़ाई होगी?
गुरुजी बोले...हमें बताओ,
सबकी हाजिरी पूरी होगी?
किसकी ऑनलाइन उपस्थिति हैं
और नेटवर्क गायब,
ज्ञान भले ही रहें अधूरा,
अटेंडेंस रहनी चाहिए साहब!
बारिश हो,चाहे आँधी हो,
या रास्ते में पानी बहता मिले,
रजिस्टर में बस वही अच्छा जो
समय पे हाजिर मिले।
शिक्षा की गाड़ी चलती रहे,
चाहे मौसम कैसा भी लगे,
गुरुजी देर से आएँ तो बहाना,
बच्चे देर से एब्सेंट लगे!

सच्चाई कुछ और होती है...

अशोक पटेल आशु
शिवरीनारायन,
छत्तीसगढ़

यह दुनिया दिखावे की है,
सच्चाई कुछ और होती है
भोली सूरत पे मत आना,
सीरत कुछ और होती है
पढ़ सकते हो तो सूरत पढ़लो,
जरा समझ के देखो
मन की इरादें नापाक,और
नीयत बड़ी बुरी होती है।
उसकी मीठी-मीठी बातें,और
बयां निराली होती है
चेहरे का अंदाज निराला,
नजरें बड़ी प्यारी होती है
इनके बहकावे में मत आना,
इनको समझ के देखो
सराफत तो दिखावा है,
फितरत में बेईमानी होती है।
हमदर्दी जताते हैं,
इनकी नियत में बेरहमी होती है
खुबसूरत चेहरा और
इसमें हद की बेशर्मी होती है
इनकी अदा पे न आना,
इसको समझ के तो देखो
यह कहर ढहाते हैं,
इनकी चालें खुरापात होती है।

आज पर्यावरण को बचाने हेतु रामायण का अध्ययन जरुरी

संजय गोस्वामी,पटना,बिहार

आज पर्यावरण खतरे में हैं जिससे लोग बीमार हो रहें हैं जिसको सहजने की नितांत आवश्यकता है। ये भी भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुसार समझा जा सकता है दरअसल पर्यावरण ने संसार में दो प्रकार की भूमिकाएँ निभाई। मनुष्य ने अन्य जीवित प्राणियों की तरह भौतिक पर्यावरण से संसाधन प्राप्त किए और पर्यावरणीय संसाधनों में भी योगदान दिया। समय के साथ पर्यावरण के प्रति मनुष्य की भूमिका बदलती गई। एक कारक होने से लेकर पर्यावरण का परिवर्तक और विध्वंसक बनने तक, पर्यावरण में किए गए असंख्य परिवर्तनों के कारण अनेक विनाशकारी समस्याएँ उत्पन्न हुई। बदलते संबंधों के ऐतिहासिक पर्यावरण में पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन का महत्व बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के दुष्प्रभावों को अच्छी तरह से उजागर किया जा सकता है। प्राचीन काल में मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध काफी संतुलित था। लेकिन समय के साथ उपभोक्तावाद को दर्शाने वाले परिवर्तनों के कारण यह संबंध शोषण और दोहन से असंतुलित हो गया। वेदों,ऋचाओं आदि में वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। इस विशाल महाकाव्य में प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों को भी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। संजीवनी बूटी के माध्यम से रोगों की रोकथाम आदि कई उदाहरण हैं,जिनके माध्यम से प्रकृति की जीवंतता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यद्यपि पर्यावरण विज्ञान विषय को एक इकाई में समाहित करना आसान नहीं है, फिर भी यहाँ इस विषय को समझने का प्रयास किया जाएगा। रामायण में मानव जीवन से जुड़े सभी पहलू प्रतिबिम्बित होते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रस्तुत श्लोक पर्यावरण असंतुलन की पीड़ा को व्यक्त करता है-

मा निषाद प्रतिष्ठान
त्वमगमः शाश्वतीः समाः।
यतोअंचमिथुनादेकमवधीः
काममोहितम्।।

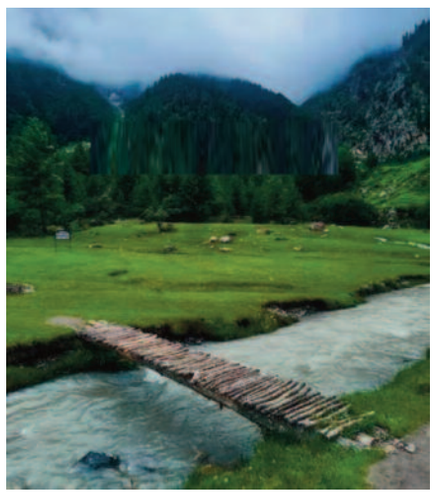

उपर्युक्त श्लोक में प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले के प्रति कठोरता का भाव तथा पक्षी के प्रति दया व सहानुभूति का भाव दर्शाया गया है। इस प्रकार पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का आदि से अंत तक समग्रतापूर्वक चित्रण किया गया है। इसके अन्तर्गत भौगोलिक वातावरण,जीव-जंतु,पेड़-पौधे एवं जलवायु का वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही छहों ऋतुओं का भी मनोहर वर्णन मिलता है। विभिन्न नदियों, पहाड़ों, जंगलों एवं पवित्र स्थानों की चर्चा की गई है। इसमें भूमि,जल एवं वायु के प्रदूषण एवं उनके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की गई है। नदियों और पहाड़ों की स्थिरता का विचार रामायण में भी प्रतिबिंबित होता है-

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरिताश्च महीतले। तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचारिष्यति।

असंख्य वृक्षों से सुशोभित वन क्षेत्र बड़ा ही सुन्दर था। आश्रम बनाने के लिए वन में एक समतल,सुन्दर और शांत स्थान देखकर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह स्थान समतल है,वृक्षों से भरा है, कमलों से भरे तालाबों से भरा है और विविध वृक्षों से घिरी गोदावरी नदी भी यहीं है। अतः यह स्थान आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार ऊबड़-खाबड़ और ऊबड़-खाबड़ भूमि का वर्णन है। अयोध्या से गंगा तट तक के मार्ग के वर्णन में ऊबड़-खाबड़ भूमि की चर्चा की गई है। अयोध्या कांड में भरत अपने कारीगरों को ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने तथा दुर्गम स्थानों को जानकर उन्हें सुगम बनाने की आज्ञा देते हैं। जब दक्षिण में सीता की खोज की जा रही थी,तब वानरों ने पहाड़ों, घने जंगलों, गुफाओं आदि में खोज की।चित्रकूट के मार्ग में भूमि बड़ी ही सुन्दर दिखाई गई है, यहाँ भल्लावे और बेल के वृक्ष दिखते हैं,सुन्दर माल्यवती नदी बहती है।दण्डकारण्य की सुन्दरता का भी वर्णन किया गया है। वह स्वच्छ तथा जंगली पशु-पक्षियों से भरा हुआ था। आश्रमों का वह पवित्र समूह वैदिक मंत्रों की ध्वनियों से गुंजायमान रहता था। आश्रम कमल के फूलों से भरे तालाबों और फलों से लदे वृक्षों से घिरा हुआ था। सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम भी दण्डकारण्य का ही एक भाग था। ऋषि अगस्त्य के भक्त का आश्रम भी सुंदर था और पेड़ों से घिरा हुआ था। ऋषि अगस्त्य के आश्रम के रास्ते में नीवार,कटहल, साखू,अशोक,तिनिश,चिरबिल्व,महुआ, बेल, तेंदू के पेड़ थे जो फूलों और लताओं से सजे हुए थे। यहाँ के जानवर और पक्षी शांत और क्षमाशील लग रहे थे। पंचवटी नाम की जगह फलों,फूलों और पानी से भरा एक जंगल वाला इलाका था। वहाँ बहुत सारे झरने थे। वहाँ तरह-तरह के सुंदर पेड़ थे जो फूलों की बारिश करते थे। पहाड़ी ज़मीनः चित्रकूट पहाड़ की ज़मीन का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि यह धातुओं से सजी हुई चांदी की तरह चमक रही थी। कुछ धातुओं में रक्त के समान लाल चमक होती है,कुछ क्षेत्र पीले तथा मजिष्ठा रंग के होते हैं,कुछ मणियों के समान चमकते हैं और कुछ पुखराज के समान थे,कुछ स्फटिक के समान थे,कुछ में केवड़े की चमक थी तथा कुछ नक्षत्रों तथा तारों के समान चमकते थे।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

अब ऑनलाइन होगी मेडिकल रिपोर्टिंग पुलिस और अस्पतालों के बीच घटेगी दूरी

MedLEaPR-CCTNS मॉड्यूल पर 19 डॉक्टरों को दिया प्रशिक्षण...MLR और PMR ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया समझाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस विवेचना में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए सरगुजा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने डिजिटल प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ाया है। MedLEaPR एवं CCTNS मॉड्यूल से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ 19 डॉक्टरों को नई ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों और थानों के विवेचना अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ मेडिकल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अधिक तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

थाने से अस्पताल और अस्पताल से थाने ऑनलाइन पहुंचेगी रिपोर्ट : MedLEaPR एक सुरक्षित ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से पुलिस और शासकीय अस्पतालों के बीच मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग को डिजिटल किया जाता है। यह प्रणाली CCTNS से एकीकृत है। नई व्यवस्था के तहत थानों में CCTNS केस ऑनलाइन के माध्यम से MLR (Medico-Legal Report) और PMR (Post-Mortem Report) संबंधित शासकीय अस्पताल को MedLEaPR पोर्टल पर भेजे जाएंगे। अस्पताल की ओर से तैयार रिपोर्ट भी इसी पोर्टल के माध्यम से संबंधित थाने के CCTNS सिस्टम पर ऑनलाइन भेजी जाएगी। इससे रिपोर्ट के लिए कागजी प्रक्रिया और अनावश्यक आवागमन कम होगा। साथ ही विवेचना अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होने से जांच प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

मैनुअल प्रक्रिया में देरी और त्रुटि की संभावना होगी कम

प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टरों को पोर्टल पर रिपोर्ट तैयार करने, भेजने और नई प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डिजिटल प्रणाली से रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल प्रक्रिया से मैनुअल त्रुटियों की संभावना कम होगी और मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने अस्पताल एवं पुलिस के विवेचना अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

विवेचना में तेजी लाने की कोशिश : अपराध की जांच में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। इनके लिए पुलिस और अस्पताल के बीच पत्राचार तथा दस्तावेजों के आदान-प्रदान में लगने वाला समय कई बार विवेचना को प्रभावित करता है। MedLEaPR और CCTNS के एकीकरण से इसी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे रिपोर्ट भेजने से लेकर प्राप्त करने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होगा।

19 डॉक्टरों ने लिया प्रशिक्षण : प्रशिक्षण शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी,डॉ. संटू बाघ,डॉ. रवि किरण तिर्की सहित जिले के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ 19 डॉक्टर उपस्थित रहे। इसके अलावा आरक्षक प्रदीप केरकेट्टा एवं महिला आरक्षक प्रिया रानी भी प्रशिक्षण में शामिल रहे। पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के बीच यह डिजिटल समन्वय व्यवस्था लागू होने के बाद मेडिकल रिपोर्टिंग को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मोंटफोर्ट स्कूल में साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पाठ,400 विद्यार्थियों को किया जागरूक

सीएसपी राहुल बंसल ने ऑनलाइन ठगी से बचाव के बताए तरीके,महिला थाना प्रभारी ने 1930 और 'अभिव्यक्ति' ऐप की दी जानकारी...ट्रैफिक प्रभारी ने हेलमेट-सीट बेल्ट को बताया सुरक्षा की पहली शर्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही बैंक खाते से लेकर निजी जानकारी तक को खतरे में डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए साइबर जागृति अभियान के तहत मोंटफोर्ट स्कूल अंबिकापुर में विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा,महिला सुरक्षा और यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 400 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार और सड़क सुरक्षा की जानकारी ली। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एस. गेब्रियल,कोऑर्डिनेटर ममता तिवारी,संगीता पाण्डेय,सिस्टर निशा रानी एवं पूजा गुप्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर नितिन कर्ष रहे, जबकि मंच संचालन मिस मनदीप भामरा ने किया।

अनजान कॉल और लिंक से रहें सावधान : नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर राहुल बंसल ने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के तौर-तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन लेन-देन के दौरान की गई छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को डिजिटल लेन-देन के दौरान सतर्क रहने और किसी अनजान व्यक्ति के साथ गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही संदिग्ध लिंक और सोशल मीडिया प्रोफाइल से सावधान रहने को कहा गया।

1930 पर करें तत्काल शिकायत : महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज ने साइबर और महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर ठगी होने पर बिना देर किए शिकायत करना जरूरी है। उन्होंने 'जागरूकता की एक

Selfie' अभियान के तहत जागरूकता QR Code की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा 'अभिव्यक्ति' ऐप की उपयोगिता और महिला सुरक्षा में उसकी भूमिका के बारे में भी बताया।

सड़क पर एक गलती पड़ सकती है भारी : कार्यक्रम में यातायात प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, यातायात संकेतों का पालन तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए हैं।

पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर भी रहे मौजूद : कार्यक्रम में महिला थाना से महिला आरक्षक सविता मरावी, लोरेता एक्का एवं संगीता बड़ा सहित पुलिस मितान टीम और साइबर वॉलंटियर टीम से भार्गवी द्विवेदी, अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता एवं विकेश राजवाड़े उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछे। पुलिस अधिकारियों और साइबर जागरूकता टीम ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

लिव-इन पार्टनर की दूसरी युवती से थी नजदीकी,विवाद के बाद प्रेमिका ने बांध में कूदकर दी जान

सात माह बाद दरिमा पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज किया अपराध,मारपीट और प्रताड़ना के आरोप भी सामने आए...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 19 वर्षीय युवती ने करीब सात माह पहले बड़ा दमाली स्थित बरनई बांध में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मामले की जांच के बाद दरिमा पुलिस ने उसके प्रेमी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि युवक का किसी दूसरी युवती से भी संबंध था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस के अनुसार, विरोध करने पर आरोपी युवती के साथ मारपीट भी करता था। जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुन्नी निवासी अमृता खेस (19) का बड़ा दमाली निवासी संजू मिंज से प्रेम संबंध था। करीब डेढ़ साल पहले अमृता प्रेमी के घर आकर रहने लगी थी। दोनों के एक बच्चा भी है। परिवार के लोगों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। 26 नवंबर 2025 को अमृता प्रेमी के घर से अचानक निकल गई थी। करीब पांच दिन बाद उसका शव बड़ा दमाली स्थित बरनई बांध में मिला। दरिमा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी। मर्ग जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संजू का किसी दूसरी युवती से भी संबंध था। इसे लेकर अमृता और संजू के बीच आए दिन विवाद होता था। पुलिस के अनुसार,अमृता द्वारा इसका विरोध करने पर संजू उसके साथ मारपीट भी करता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अमृता गुस्से में घर से निकल गई और बरनई बांध में कूदकर जान दे दी। करीब सात माह तक चली जांच के बाद पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर संजू मिंज के खिलाफ धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है।

चौपाटी जा रहे युवकों से मारपीट, मोबाइल पटककर किया क्षतिग्रस्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बाबूपारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने दो युवकों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर दोनों युवकों को खींचकर अपने घर ले गए। वहां जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों और पैर से मारपीट की। घटना में दोनों युवकों को चोटें आई हैं। एक युवक का मोबाइल भी पटककर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विक्की राजवाड़े ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त की रात करीब 9 बजे वह अपने साथी नवीन एक्का के साथ बाइक से जोड़ा तालाब चौपाटी जा रहा था। इसी दौरान बाबूपारा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने रॉबिन सिंह, रजनीश सिंह, राहुल सिंह सहित अन्य लोग खड़े थे। उनका कुछ अन्य लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद वे लोग वहां से चले गए। पीड़ित के अनुसार, रॉबिन सिंह व उसके साथियों ने उसे और नवीन एक्का को उन्हीं लोगों का साथी समझकर गाली-गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने दोनों को खींचते हुए अपने घर ले गए।

चरित्र शंका में पत्नी समेत दो की फावड़े से हत्या,आरोपी पति गिरफ्तार

कमलेश्वरपुर के बिसरपानी में दोहरा हत्याकांड...वारदात के बाद फरार था आरोपी,पुलिस ने फावड़ा और घटना के समय पहने कपड़े किए जब्त

-संवाददाता-
अंबिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र में चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आरोपी पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और एक अन्य युवक पर फावड़े से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। घटना के बाद फरार आरोपी को कमलेश्वरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना 17 अगस्त 2026 की शाम करीब 6 से 7 बजे ग्राम बिसरपानी दारापारा में हुई। घटना के दौरान तीनों लोग शराब के नशे में बताए गए हैं। विवाद के बाद आरोपी ने कथित रूप से फावड़े से दोनों पर हमला कर दिया।

आग तापते-तापते हुआ विवाद, फिर खूनी खेल : पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक बेंजे बड़ा (35), निवासी बिसरपानी चिखलापारा, मृतिका

नईहारो मझवार (32) और उसके पति बाबुलाल मझवार (35) शराब के नशे में सोमारू मझवार के घर पहुंचे थे। तीनों आग ताप रहे थे। कुछ देर बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। विवाद बढ़ता देख सोमारू मझवार वहां से अपने दूसरे घर चला गया। अगले दिन 18 अगस्त की सुबह जब वह वापस आया तो घर के अंदर बेंजे बड़ा और नईहारो मझवार खून से लथपथ हालत में मृत पड़े मिले। दोनों के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। वहीं नईहारो का पति बाबुलाल मौके से फरार था।

चरित्र शंका बनी विवाद की वजह

पुलिस ने जांच के दौरान परिजनों,सूचक और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में आरोपी बाबुलाल मझवार के खिलाफ दोनों हत्याओं से जुड़े साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी नईहारो मझवार और बेंजे बड़ा पर फावड़े से हमला कर हत्या करने की बात स्वीकार की।

फावड़ा और वारदात के समय पहने कपड़े जब्त

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त फावड़ा और वारदात के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े जब्त किए हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 63/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। इससे पहले दोनों मौतों के संबंध में मर्ग क्रमांक 38/26 एवं 39/26 दर्ज कर जांच की गई थी।

एसएसपी ने घटनास्थल पहुंचकर दिए थे निर्देश

दोहरा हत्याकांड सामने आने के बाद डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी एवं एसडीओपी सीतापुर तुल सिंह पट्टावी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार किया।

आज परसाई जयंती: भारतेन्दु भवन में होगा साहित्यिक आयोजन

'परसाई होने का अर्थ और परसाई की आवश्यकता' विषय पर होगी परिचर्चा,साहित्यप्रेमियों से शामिल होने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की जयंती के अवसर पर सरगुजा हिंदी साहित्य परिषद द्वारा आज शाम 6 बजे भारतेन्दु भवन,स्टेडियम परिसर अंबिकापुर में विशेष साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में परसाई के साहित्य, उनके व्यंग्य की धार और वर्तमान सामाजिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श होगा। कार्यक्रम में 'परसाई होने का अर्थ और परसाई की आवश्यकता' विषय पर डॉ. रामकुमार मिश्र एवं प्रभु नारायण वर्मा अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. कामिनी करेंगी।

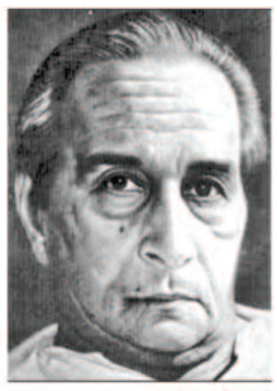

आज भी प्रासंगिक हैं परसाई के व्यंग्य : परसाई ने अपने व्यंग्य साहित्य के माध्यम से समाज में मौजूद विसंगतियों, पाखंड, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और व्यवस्था की कमियों पर तीखा प्रहार किया। उनकी लेखनी ने पाठकों को केवल हंसाया नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर गंभीरता से सोचने के लिए भी मजबूर किया। बदलते सामाजिक परिवेश में परसाई की रचनाओं और उनके विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा को लेकर साहित्यप्रेमियों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता है।

साहित्यप्रेमियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील : सरगुजा हिंदी साहित्य परिषद के सचिव रमेश द्विवेदी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अंबिकापुर के साहित्यकारों,लेखकों, विद्यार्थियों एवं साहित्यप्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में भारतेन्दु भवन पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे साहित्यिक आयोजन समाज में पठन-पाठन, विचार-विमर्श और स्वस्थ वैचारिक संवाद को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकारों से जोड़ने का माध्यम भी बनते हैं।

साइबर जागृति अभियान में 1000 विद्यार्थियों व नागरिकों को किया जागरूक....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस के साइबर जागृति अभियान के तहत केदमा, बरगीडीह, उर्सुलाइन हिंदी मीडियम, मेंड्राकला और लखनपुर के स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। करीब 1000 छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों ने सहभागिता की। डीआईजी/एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन एवं एएसपी रितेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में OTP, UPI, QR कोड फ्रॉड, फर्जी लिंक, APK, सोशल मीडिया फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी दी गई। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में उर्सुलाइन हिंदी मीडियम स्कूल की प्राचार्या

रेजिना लकड़ा, नवा बिहान टीम से अजय तिवारी एवं मंगल पाण्डेय, निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक अश्वनी दीवान एवं अभय तिवारी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक हर्ष कुमार, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय,राहुल केरकेट्टा एवं दशरथ राजवाड़े सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस ने विद्यार्थियों से OTP, PIN, CVV और पासवर्ड साझा नहीं करने तथा अनजान लिंक व फाइलों से सावधान रहने की अपील की।

पारिवारिक विवाद में माता-पिता की टांगी से हत्या,दोनों शव बोरे में बांधकर फरार हुआ बेटा

धौरपुर के सपड़ा में सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड का खुलासा...आरोपी जदू यादव गिरफ्तार,वारदात में प्रयुक्त टांगी और कपड़े जब्त

-संवाददाता-
अंबिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आपसी पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी जदू यादव ने अपने माता-पिता की टांगी से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों शवों को प्लास्टिक के बोरे में रस्सी से बांधकर कमरे में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त टांगी और घटना के दौरान पहने गए

कपड़े जब्त किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

कमरे में बोरे में बंधे मिले माता-पिता के शव : पुलिस के अनुसार 17 अगस्त 2026 की सुबह ग्राम सपड़ा से सूचना मिली कि हीराधर यादव और उनकी पत्नी गुलाबी यादव के शव घर के अंदर एक कमरे में पड़े हैं। सूचना मिलते ही एसडीओपी सीतापुर के नेतृत्व में पुलिस टीम और सीन ऑफ क्राइम यूनिट मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता मोहन यादव ने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ पुराने घर से करीब 800 मीटर दूर अलग मकान में रहता था। उसके पिता हीराधर यादव, मां गुलाबी यादव और बड़ा भाई जदू यादव पुराने घर में रहते थे। 16 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे हीराधर यादव अपने बेटे मोहन के नए घर पहुंचे थे और बाद में वापस पुराने घर लौट गए।

दूध लेने पहुंचा बेटा,तो खुला खूनी राज : अगली सुबह मोहन यादव दूध लेने पुराने घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर बाहर से सांकल लगी थी। माता-पिता और बड़ा भाई नजर नहीं आए तो उसने आसपास तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घर के एक कमरे का दरवाजा बंद मिला। शक होने पर ताला तोड़कर अंदर देखा गया तो प्लास्टिक के बोरे में रस्सी से लिपटे माता-पिता के शव जमीन पर पड़े थे। आसपास खून भी पड़ा था। मौके पर पुलिस को उस स्थान पर ताजा गोबर से लिपाई के निशान और दीवार पर खून के छींटे भी मिले। वहीं आरोपी बड़ा बेटा जदू यादव मौके से गायब था। मामले में थाना धौरपुर में अपराध क्रमांक 52/2026, धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस की पूछताछ में सामने आई हत्या की वजह : मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने पुलिस टीम को आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी एवं एसडीओपी सीतापुर तुल सिंह पट्टावी के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी। घटनास्थल की बारीकी से जांच और परिजनों एवं गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस को आरोपी जदू यादव पर संदेह मजबूत हुआ। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते टांगी से अपने माता-पिता की हत्या करने तथा दोनों शवों को प्लास्टिक बोरे में रस्सी से बांधकर कमरे में रखने की बात स्वीकार की।

टांगी और वारदात के समय पहने कपड़े जब्त : पुलिस ने आरोपी जदू यादव (36), पिता हीराधर यादव, निवासी सपड़ा परसापारा, थाना धौरपुर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी तथा घटना के दौरान पहने गए कपड़े जब्त किए गए। अपराध में आरोपी की संलिप्तता के साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

इनकी रही कार्रवाई में अहम भूमिका : पूरी कार्रवाई में थाना धौरपुर के सहायक उप निरीक्षक राम धनी राम, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा एवं बलबीर मिंज,महिला आरक्षक ज्योति पैकरा तथा आरक्षक पंकज देवांगन,अशोक यादव, हरी किशुन, देव सिंह, बसंत, अभिषेक एवं सुशील मिंज की सक्रिय भूमिका रही।

अग्रिम जमानत पर हाई कोर्ट में पुलिस की जांच कठघरे में

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने पूछे तीखे सवाल...

कथित प्रताड़ना,पुलिस को पहले से जानकारी और फिर आत्महत्या...क्या यह घटना रोकी जा सकती थी?

21 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने लंबित अग्रिम जमानत के बावजूद आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज पर तत्कालीन एसपी को तलब किया...

7 जुलाई की घटना के बाद 10 जुलाई को जब्त डीवीआर अब तक फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे जाने पर भी जवाब तलब...

कथित प्रताड़ना से लेकर आत्महत्या तक सवालों का घेरा,डीवीआर जब्ती के बाद भी फॉरेंसिक जांच में देरी और प्रेस रिलीज पर कोर्ट ने मांगा जवाब...

अग्रिम जमानत की सुनवाई में पुलिस से कोर्ट के कड़े सवाल...डीवीआर क्यों नहीं भेजा फॉरेंसिक लैब? प्रेस रिलीज किस आधार पर?

जो सवाल खबरों में उठे,वही कोर्ट में गूंजे,पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

जांच हुई या सिर्फ आरोपी बना दिए गए? हाई कोर्ट में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/बिलासपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग बालिका की मौत से जुड़े संवेदनशील मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 21 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने पुलिस की जांच को लेकर कई गंभीर सवाल रिकॉर्ड पर ला दिए,मामला CRA No. 1795/2026, जगत कुमार बैद बनाम राज्य छत्तीसगढ़ तथा CRA No. 1800/2026 के रूप में न्यायालय के सामने था। आदेश पर न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास के हस्ताक्षर हैं, आदेश के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर कोरिया के पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर और उप पुलिस अधीक्षक आशा रानी सेन भी उपस्थित हुए, सवाल केवल यह नहीं है कि घटना के बाद कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस को घटना से पहले किसी कथित प्रताड़ना की जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो क्या समय रहते कोई प्रभावी कदम उठाया गया? घटना और आत्महत्या के बीच मौजूद समय का पुलिस ने किस तरह इस्तेमाल किया? और सबसे महत्वपूर्ण–क्या निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच के जरिए वास्तविक घटनाक्रम सामने लाने का प्रयास हुआ? अब हाई कोर्ट के आदेश ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है,यानी यह सुनवाई केवल अग्रिम जमानत पर पक्ष-विपक्ष की दलीलों तक सीमित नहीं रही, अदालत के आदेश में पुलिस की कार्यप्रणाली, प्रेस रिलीज जारी करने की प्रक्रिया, अग्रिम जमानत लंबित होने की जानकारी के सत्यापन, सीसीटीवी डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में हितों के संभावित टकराव से जुड़े निर्देश दर्ज हुए हैं,यही वजह है कि 21 अगस्त का आदेश इस प्रकरण में महज एक अंतरिम न्यायिक कार्यवाही नहीं,बल्कि जांच की दिशा और गुणवत्ता पर गंभीर न्यायिक निगरानी का दस्तावेज बन गया है।

कोर्ट का पहला बड़ा सवाल : जमानत याचिका लंबित थी तो आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज क्यों?

मामले में हाई कोर्ट के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज को लेकर सामने आया,हाई कोर्ट के आदेश की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक कोरिया पुलिस की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज को लेकर है,न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि पुलिस की ओर से ऐसी प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें अपीलकर्ताओं को फरार बताया गया,जबकि उनके खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में लंबित थी। इस पर कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है, उन्हें यह बताना होगा कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने कौन-सा तथ्य और कौन-सी सामग्री जुटाई थी तथा क्या अग्रिम जमानत याचिका लंबित होने की स्थिति का सत्यापन महाधिवक्ता कार्यालय से किया गया था,यहीं से मामला महज गिरफ्तारी और जमानत का नहीं रह जाता। सवाल पुलिस की सूचना की पुष्टि, प्रेस संचार की प्रक्रिया और जांच की निष्पक्षता तक पहुंच जाता है,यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय ने स्वयं इसे आदेश का हिस्सा बनाया है,यानी अब पुलिस को यह बताना होगा कि गिरफ्तारी संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी करने का आधार क्या था और न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत की स्थिति की पुष्टि कैसे की गई। अदालत ने अभी इस पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन जवाब मांगना अपने आप में जांच प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण न्यायिक जांच है,हाई कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब तत्कालीन एसपी से मांगा है।

कोर्ट का दूसरा बड़ा सवाल : 10 जुलाई को डीवीआर जब्त हुआ,फिर फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजा गया?- मामले का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण पहलू सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा है,आदेश में दर्ज तथ्यों का दूसरा बेहद गंभीर हिस्सा सीसीटीवी डीवीआर से जुड़ा है,न्यायालय को बताया गया कि घटना 7 जुलाई 2026 को हुई थी और सीसीटीवी का डीवीआर 10 जुलाई 2026 को जब्त कर लिया गया था, लेकिन 21 अगस्त की सुनवाई तक वह डीवीआर फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया था,घटना के तीन दिन बाद डीवीआर पुलिस के कब्जे में आ गया था,इसके बावजूद 21 अगस्त की सुनवाई तक उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू नहीं हुई थी,आदेश में कोर्ट ने संबंधित एसपी को डीवीआर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और राज्य को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी डीवीआर को फॉरेंसिक लैब भेजें ताकि उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले न्यायालय के सामने रखी जा सके,इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित एसपी से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राशि बढ़ाकर प्रेस रिलीज किस अधिकार के तहत जारी की गई,इस तरह एक ही आदेश में कोर्ट ने पुलिस की सार्वजनिक संचार प्रक्रिया और वैज्ञानिक साक्ष्य की जांच–दोनों पर जवाब मांगा है,यही देरी जांच की वैज्ञानिकता पर सबसे अहम सवाल खड़ा करती है–साक्ष्य पुलिस के कब्जे में था,फिर उसकी वैज्ञानिक जांच में इतनी देरी क्यों?

जिन सवालों को 'दैनिक घटती-घटना' ने उठाया,अब वे न्यायिक रिकॉर्ड में- इस पूरे मामले में दैनिक घटती-घटना ने शुरुआत से ही किसी एक पक्ष को दोषी घोषित करने के बजाय जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे,कथित प्रताड़ना के आरोप, पुलिस को पहले से जानकारी होने की चर्चा, घटनाक्रम और आत्महत्या के बीच का समय, पुलिस की भूमिका,परिवार और संबंधित लोगों के बयान तथा जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल जैसे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि किसी भी आत्महत्या अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की वास्तविकता केवल आरोपों के आधार पर तय नहीं हो सकती, जांच का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घटनाक्रम की हर कड़ी को प्रमाण के आधार पर जोड़ा जाए, अब इन सवालों की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज के सत्यापन,डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

एक बच्ची का बयान और चार आरोपी—क्या इतनी भर है जांच?- पूरे मामले में सबसे गंभीर प्रश्न जांच की दिशा को लेकर है,यदि किसी मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया गया है और अभियोजन का आधार मुख्य रूप से एक नाबालिग के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री पर टिका है,तो जांच एजेंसी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह स्वतंत्र,वैज्ञानिक और निष्पक्ष साक्ष्यों से पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करे,सीसीटीवी,मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल,डिजिटल साक्ष्य,घटनास्थल की परिस्थितियां,संबंधित व्यक्तियों के बयान, समय-सीमा और कथित प्रताड़ना से जुड़े पूर्व घटनाक्रम–इन सभी पहलुओं का आपसी मिलान ही जांच को मजबूत बनाता है,ऐसे में यदि डीवीआर जब्त होने के बाद भी फॉरेंसिक जांच लंबित रहती है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका कितनी गंभीरता से निभाई गई? यह भी ध्यान रखना होगा कि अदालत ने अभी किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया है, अग्रिम जमानत का प्रश्न भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति को दोषी बताना न्यायसंगत नहीं होगा, लेकिन जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठना और अदालत द्वारा पुलिस से जवाब मांगना अलग विषय है।

क्या घटना रोकी जा सकती थी? यह सवाल अभी भी जिंदा है- मामले का सबसे संवेदनशील प्रश्न यही है–क्या आत्महत्या को रोका जा सकता था? यदि पुलिस को कथित प्रताड़ना की जानकारी पहले से थी, यदि परिवार या किसी पक्ष की ओर से शिकायत या सूचना दी गई थी,यदि किसी संवेदनशील परिस्थिति की जानकारी पुलिस के संज्ञान में थी,तो पुलिस ने उस सूचना पर क्या कार्रवाई की? क्या कोई शिकायत दर्ज हुई थी? क्या संबंधित पक्षों को बुलाकर समझाइश या पूछताछ की गई? क्या नाबालिग की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया गया? क्या पुलिस ने घटनाक्रम को गंभीरता से लिया? और यदि पुलिस के पास कोई सूचना ही नहीं थी, तो क्या जांच में यह स्पष्ट रूप से सामने लाया गया? इन सवालों का जवाब केवल प्रेस बयान से नहीं, बल्कि केस डायरी और दस्तावेजी साक्ष्यों से मिलना चाहिए।

कोर्ट ने जांच से जुड़े पुलिसकर्मी रिश्तेदारों को लेकर भी दिया सख्त निर्देश

आदेश का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पीड़ित पक्ष से जुड़े दो पुलिसकर्मियों को जांच से अलग रखने का है,हाई कोर्ट ने अभियोजन को निर्देश दिया कि पीड़ित का पिता, जो कांस्टेबल है, और चाचा, जो सब-इंस्पेक्टर हैं, मामले की किसी भी प्रकार की जांच में शामिल न हों,अदालत ने साफ कहा है कि यदि दोनों में से कोई जांच में शामिल पाया जाता है तो न्यायालय इसे गंभीरता से ले सकता है,यह निर्देश निष्पक्ष जांच के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है,किसी भी आपराधिक मामले में जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल न उठे, इसके लिए जांच प्रक्रिया को ऐसे प्रभावों से मुक्त रखना जरूरी है,हाई कोर्ट ने इस पहलू को आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया है।

जमानत याचिका से आगे बढ़ा मामला...

कोर्ट ने जांच की विश्वसनीयता पर भी नजर डाली–पहली नजर में यह अग्रिम जमानत का मामला है,लेकिन 21 अगस्त के आदेश की भाषा और निर्देश बताते हैं कि न्यायालय ने जांच की विश्वसनीयता से जुड़े कई पहलुओं को भी गंभीरता से लिया है,अदालत ने अभी आरोपियों को दोषी नहीं माना है और न ही इस आदेश को अंतिम दोष निर्धारण के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने पुलिस से ऐसे बिंदुओं पर जवाब मांगा है जिनका सीधा संबंध जांच की पारदर्शिता और साक्ष्यों के प्रबंधन से है, एक तरफ अग्रिम जमानत याचिकाएं हैं, दूसरी तरफ उसी अवधि में आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज, एक तरफ 7 जुलाई की घटना के बाद 10 जुलाई को डीवीआर की जब्ती है, दूसरी तरफ 21 अगस्त तक उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू न होना, एक तरफ पुलिस की जांच है, दूसरी तरफ अदालत का यह निर्देश कि पीड़ित पक्ष के कांस्टेबल पिता और सब-इंस्पेक्टर चाचा जांच में शामिल न हों,यानी मामला अब केवल यह नहीं रह गया कि किसे गिरफ्तार किया जाए और किसे जमानत मिले, मामला यह भी बन गया है कि जांच कैसे की गई और जांच करने वालों ने उपलब्ध साक्ष्यों का कितना प्रभावी उपयोग किया।

8 सितंबर को फिर होगी सुनवाई अब पुलिस के जवाब की परीक्षा

हाई कोर्ट ने मामले को 8 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, अब अगली सुनवाई में दो जवाब विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे– पहला, डीवीआर की फॉरेंसिक रिपोर्ट...दूसरा,तत्कालीन एसपी रवि कुर्रे का यह स्पष्टीकरण कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने क्या सामग्री जुटाई और क्या अग्रिम जमानत लंबित होने की स्थिति का सत्यापन महाधिवक्ता कार्यालय से किया गया था, न्यायालय ने इसी के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, अब असली परीक्षा यहीं से शुरू होगी, पुलिस के पास अदालत के सवालों के जवाब देने का समय है, जांच एजेंसी के पास अपने रिकॉर्ड रखने का अवसर है, और न्यायालय के पास उन जवाबों की न्यायिक कसौटी पर जांच करने का अधिकार।

सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं...

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि हाई कोर्ट ने किसे जमानत दी या नहीं दी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच उस स्तर की हुई, जिसकी एक नाबालिग की मौत जैसे संवेदनशील मामले में अपेक्षा की जाती है? यदि डीवीआर घटना के कुछ दिनों बाद जब्त हो गया था,तो वह फॉरेंसिक लैब तक क्यों नहीं पहुंचा? यदि अग्रिम जमानत याचिका अदालत में लंबित थी,तो आरोपियों को फरार बताने वाली प्रेस रिलीज किस आधार पर जारी हुई? क्या प्रेस रिलीज जारी करने से पहले संबंधित कानूनी स्थिति का सत्यापन किया गया था? क्या पुलिस के पास कथित प्रताड़ना से संबंधित पूर्व सूचना थी? यदि थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? और यदि नहीं थी तो जांच में यह तथ्य कैसे सामने आएगा? क्या जांच सभी संभावित साक्ष्यों को जोड़कर हुई या केवल आरोपों के आधार पर आगे बढ़ी? इन सवालों के जवाब अब केवल पत्रकारिता के सवाल नहीं हैं, हाई कोर्ट ने इनमें से कई सवालों को अपने आदेश में दर्ज कर दिया है,न्यायालय ने फिलहाल दोष तय नहीं किया है, लेकिन उसने जांच की प्रक्रिया को जरूर जांच के घेरे में ला दिया है, और यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है,क्योंकि किसी भी जांच की सफलता केवल आरोपियों की संख्या से नहीं,बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जुटाए गए प्रमाणों की गुणवत्ता से तय होती है,अब 8 सितंबर की सुनवाई पर निगाहें रहेंगी– पुलिस डीवीआर की रिपोर्ट के साथ क्या जवाब देती है,तत्कालीन एसपी प्रेस रिलीज को लेकर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और न्यायालय उन जवाबों को किस नजर से देखता है,फिलहाल इस आदेश का सबसे बड़ा संदेश यही है कि न्यायालय ने जांच के उन हिस्सों पर जवाब मांगा है जहां रिकॉर्ड पर सवाल पैदा हुए हैं दैनिक घटती-घटना ने इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच,कथित प्रताड़ना की पूर्व जानकारी और आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए थे,अब न्यायालय ने अपने आदेश में प्रेस रिलीज के सत्यापन,डीवीआर की फॉरेंसिक जांच और जांच में पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर स्पष्ट निर्देश देकर जांच एजेंसी के सामने जवाबदेही की कसौटी रख दी है।

कार की टक्कर से ऑटो सवार की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी भंडारदांड निवासी 45 वर्षीय कवल साय अगडिया की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा 19 अगस्त की शाम करीब 7 बजे डांडगांव के देवल्ला मोड़ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कवल साय अन्य सवारियों के साथ ऑटो में जा रहा था। इसी दौरान एक कार चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर से ऑटो पलट गया और कवल साय उसके नीचे दब गया। हादसे में अन्य सवारियों को भी चोटें आईं। घायल कवल साय को उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ कोई परिजन मौजूद नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को मरच्यूरी में रखवा दिया था। गुरुवार शाम परिजनों को घटना की जानकारी मिली और वे अंबिकापुर पहुंचे।

महिला पुलिसकर्मियों के लिए अंबिकापुर में लगेगा विशेष स्तन कैंसर जांच शिविर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को अंबिकापुर में विशेष स्तन कैंसर जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर स्टेडियम परिसर स्थित भारतेन्दु भवन में लगेगा। इसमें रायपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम अत्याधुनिक मोबाइल चिकित्सा वाहन के साथ पहुंचेगी और महिला पुलिसकर्मियों की स्तन कैंसर की जांच करेगी। यह शिविर भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अंबिकापुर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सरगुजा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। सरगुजा रेंज के सभी जिलों में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके परिवार की महिला सदस्यों को भी जांच शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अधिक से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों और उनके परिवार की महिला सदस्यों को शिविर में शामिल कराने के निर्देश दिए हैं।

आईसीयू की छत से टपक रहा पानी,बचाने लेना पड़ा तिरपाल का सहारा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल आईसीयू की छत बारिश में जवाब देने लगी है। छत से पानी टपकने और जगह-जगह पानी जमा होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों और महंगे उपकरणों को बचाने के लिए तिरपाल लगा दिया है। पानी की नमी से आईसीयू में सीलन की स्थिति बन गई है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मेडिकल आईसीयू की छत में कई जगह पानी भर गया था। छत से रिसकर पानी बेड और वेंटिलेटर के पास

तक पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने आनन-फानन में आईसीयू की छत पर तिरपाल लगवाया, ताकि पानी अंदर न पहुंचे और मरीजों को सुरक्षित रखा जा सके। मेडिकल आईसीयू में गंभीर मरीज भर्ती रहते हैं। यहां वेंटिलेटर, मॉनिटर सहित कई महंगे और संवेदनशील उपकरण लगे हैं। छत से पानी टपकने के कारण उपकरणों के खराब होने के साथ ही शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बना हुआ है। मेडिकल आईसीयू की छत की समस्या नई नहीं है। करीब तीन साल पहले बारिश के दौरान नमी के कारण यहां लगी फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया था। इसके बाद तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक ने भी ऊपर से शेड लगाने की जरूरत बताई थी। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो सका। पुराने अस्पताल भवन की जर्जर हालत के कारण इस बार भी बारिश में जगह-जगह छत से पानी टपकने की स्थिति सामने आई है। अस्पताल के चिकित्सक भी मान रहे हैं कि आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में सीलन और नमी से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

उनका कहना है कि बारिश के दौरान ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्थायी समाधान जरूरी है। मेडिकल आईसीयू की छत में पानी जमा होने की स्थिति बनी थी। इसे देखते हुए तिरपाल लगाया गया है। वर्तमान कलेक्टर के संज्ञान में भी मामला लाया गया है और कलेक्टर ने नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

डॉ. अर्पण सिंह,आईसीयू प्रभारी

छात्र से मारपीट और हाजिरी में हेरफेर,जिगड़ी बालक आश्रम के प्रधान पाठक निलंबित

कक्षा 5 वीं के छात्र को बांस की छड़ी से पीटने का आरोप जांच में सही मिला; घटना के बाद रजिस्टर में छात्र को लगातार अनुपस्थित दिखाने का भी खुलासा

-संवाददाता-

राजपुर/बलरामपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राजपुर जनपद क्षेत्र के प्राथमिक शाला बालक आश्रम, जिगड़ी में कक्षा 5वीं के छात्र से मारपीट और उपस्थिति पंजी में कथित हेरफेर का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर स्कूल के प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बांस की छड़ी से मारपीट की शिकायत : मामला कक्षा 5वीं के छात्र जनक लाल से जुड़ा है। शिकायत के बाद विभाग ने जांच टीम गठित कर मामले की पड़ताल की। जांच के दौरान छात्र, उसके भाई बाबूलाल,साथी विद्यार्थियों,शिक्षक उमेश कुमार महंत सहित प्रधान पाठक के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम ने मौके का पंचनामा तैयार करने के साथ स्कूल की दैनिक उपस्थिति पंजी की भी जांच की। जांच में छात्र के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई।

मारपीट के बाद हाजिरी में भी खेल : जांच में एक और गंभीर तथ्य सामने आया। विभाग के अनुसार घटना के दिन से

ही छात्र को उपस्थिति रजिस्टर में लगातार जानबूझकर अनुपस्थित दर्ज किया जा रहा था। इससे मामला केवल छात्र से मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शासकीय अभिलेख में गड़बड़ी का भी बन गया।

आरटीई और सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन : विभागीय जांच में प्रधान पाठक का कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

वाड्रफनगर बीईओ कार्यालय रहेगा मुख्यालय : निलंबन अवधि में प्रधान पाठक विपता राम रवि का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। छात्रों की सुरक्षा और स्कूलों में अनुशासन को लेकर विभाग की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर आवासीय विद्यालयों में बच्चों के साथ व्यवहार और शासकीय अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत भी इस मामले ने सामने ला दी है।

CMYK

इलाज वाले बाबा यूं ही नहीं कहलाते भैयालाल राजवाड़े

विधायक रहते फिर दिखाई स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता,बैकुण्ठपुर जिला अस्पताल में अब 1.5 टेस्ला एमआरआई की तैयारी

SECL ने CSR मद से मंजूर किए 18.65 करोड़ रुपये,मशीन से लेकर जनरेटर,सिविल और विद्युत व्यवस्था तक का खर्च शामिल

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 18 अगस्त 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज छोड़ गया,साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL ने बैकुण्ठपुर जिला चिकित्सालय में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने के लिए अपने सीएसआर मद से 18 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है, यह मंजूरी केवल मशीन खरीदने की अनुमति नहीं है,बल्कि मशीन की आपूर्ति,स्थापना, कमीशनिंग,जनरेटर,सिविल और विद्युत व्यवस्था सहित पूरी परियोजना के लिए है। इस पूरी पहल के पीछे बैकुण्ठपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की लगातार दिखाई देने वाली स्वास्थ्य संबंधी सक्रियता भी सामने आती है, विधायक की ओर से SECL के समक्ष जिला चिकित्सालय में एमआरआई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई थी, उनके पत्र में जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में एमआरआई मशीन जैसी सुविधा को जनहित में आवश्यक बताया गया था, जिला प्रशासन की ओर से भी मांग और प्रक्रिया आगे बढ़ी और अंततः SECL ने परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दे दी, यही वजह है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भैयालाल राजवाड़े को 'इलाज वाले बाबा' कहने वालों को एक बार फिर अपनी बात कहने का मौका मिल गया है। मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य को लेकर सक्रियता दिखाना एक बात थी, लेकिन मंत्री पद पर नहीं होने के बावजूद विधायक के रूप में उसी विषय को प्राथमिकता देना इस पहल को अलग महत्व देता है।

स्वास्थ्य को विकास के सामान्य एजेंडे से अलग मानते हैं राजवाड़े

राजनीति में विकास की चर्चा अक्सर सड़क, पुल,बिजली,पानी और भवन निर्माण के आसपास घूमती है,लेकिन स्वास्थ्य का सवाल ऐसा है जिसमें किसी परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति एक बीमारी के सामने बदल सकती है,गंभीर बीमारी के मरीज को जांच के लिए दूसरे शहर ले जाना पड़े तो बीमारी के साथ यात्रा,वाहन,जांच,रहने और खाने का खर्च भी परिवार के सामने खड़ा हो जाता है,बैकुण्ठपुर जैसे क्षेत्र में यह चुनौती और बड़ी हो जाती है, जिले के दूरस्थ इलाकों से मरीज को जिला मुख्यालय तक लाना ही कई परिवारों के लिए आसान नहीं होता,इसके बाद यदि एमआरआई जैसी विशेष जांच के लिए अंबिकापुर,बिलासपुर या रायपुर जाना पड़े तो इलाज की प्रक्रिया लंबी और खर्चीली हो जाती है,इसी बिंदु पर जिला अस्पताल में

18.65 करोड़ रुपये की मंजूरी में क्या-क्या शामिल है?

SECL के सीएसआर विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में परियोजना की कुल लागत 1865 लाख यानी 18.65 करोड़ निर्धारित की गई है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एमआरआई मशीन की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए है। स्वीकृति के अनुसार एमआरआई मशीन की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए 1800 लाख यानी 18 करोड़ रुपये रखे गए हैं, 250 AMF कंट्रोल वाले DG सेट के लिए 30.75 लाख, आवश्यक सिविल कार्यों के लिए 18.96 लाख और विद्युत कार्यों के लिए 15.29 लाख निर्धारित किए गए हैं, इससे स्पष्ट है कि परियोजना को केवल मशीन खरीदने तक सीमित नहीं रखा गया है, मशीन को अस्पताल में स्थापित करने के लिए जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी, उसका खर्च भी स्वीकृति में शामिल किया गया है।

एमआरआई के लिए दूसरे शहर जाने की मजबूरी होगी कम-

अब तक यदि किसी मरीज को एमआरआई जांच की आवश्यकता होती थी और जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, तो उसे बाहर जाना पड़ता था, अंबिकापुर, बिलासपुर या रायपुर जैसे शहरों में जांच कराने के लिए मरीज और उनके परिजनों को अतिरिक्त समय, परिवहन और अन्य खर्च उठाना पड़ता था, कई बार गंभीर मरीज को लंबी दूरी तक ले जाना भी अपने आप में चुनौती होता है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जांच की कीमत से ज्यादा बोझ कई बार आने-जाने और ठहरने का खर्च बन जाता है, बैकुण्ठपुर जिला अस्पताल में एमआरआई सुविधा शुरू होने के बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जिले के मरीजों को अपने ही जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, इससे समय और आर्थिक दोनों स्तरों पर राहत मिलने की संभावना है, हालांकि वास्तविक लाभ तभी पूरा होगा जब मशीन नियमित रूप से चले और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी समयबद्ध हो।

'स्वीकृति' से 'मरीज की जांच' तक कई पड़ाव

किसी भी सरकारी परियोजना में स्वीकृति पहला बड़ा कदम होती है,अंतिम नहीं,अब मशीन की खरीद,आवश्यक निर्माण कार्य,विद्युत व्यवस्था,स्थापना,परीक्षण और अंततः मरीजों के लिए सेवा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिलेवासियों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि 18.65 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति कितनी तेजी से अस्पताल में वास्तविक सुविधा में बदलती है,मशीन कब स्थापित होती है,संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था कैसे होती है,रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग की व्यवस्था कैसी रहती है और मरीजों को जांच की सुविधा कब से मिलती है—ये सवाल आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था में असली उपलब्धि आदेश जारी होने से नहीं,बल्कि तब मानी जाती है जब अस्पताल की मशीन मरीज के काम आने लगे और नियमित रूप से चलती रहे।

विधायक की पहल,लेकिन अब प्रशासन की परीक्षा

बैकुण्ठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े की ओर से SECL के समक्ष एमआरआई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई थी,विधायक के पत्र में जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर में एमआरआई मशीन एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था,इसके बाद जिला प्रशासन की मांग और SECL की सीएसआर प्रक्रिया के जरिए आर्थिक स्वीकृति का रास्ता साफ हुआ है, इस उपलब्धि का राजनीतिक श्रेय किसे कितना मिलता है, यह अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन स्वीकृति पत्र से यह स्पष्ट है कि परियोजना के लिए SECL ने 18.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और इसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन कोरिया के माध्यम से किया जाना है, स्वीकृति पत्र में जिला स्वास्थ्य विभाग को परियोजना के क्रियान्वयन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, अब असली परीक्षा स्वीकृति के बाद शुरू होगी।

एमआरआई की सुविधा का महत्व समझ में आता है,सुविधा शुरू होने के बाद गंभीर मरीजों को जांच के लिए हर बार बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। चिकित्सकों को भी मरीज की स्थिति का अधिक विस्तृत परीक्षण स्थानीय स्तर पर कराने का अवसर मिलेगा।

1.5 Tesla एमआरआई का मतलब क्या है?- यहां एक तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है,स्वीकृति पत्र में जिस 1.5 Tesla एमआरआई का उल्लेख है,उसमें 'Tesla' किसी कंपनी का नाम नहीं है,यह एमआरआई के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बताने वाली इकाई है, इसलिए इसे किसी 'टेस्ला कंपनी की मशीन' के रूप में देखना सही नहीं होगा, 1.5 Tesla एमआरआई आधुनिक चिकित्सा संस्थानों में इस्तेमाल होने वाली एमआरआई प्रणालियों की महत्वपूर्ण श्रेणी में आती है, इससे मस्तिष्क,रीढ़ की हड्डी,नसों,जोड़ों,मांसपेशियों तथा शरीर के कई अन्य हिस्सों की विस्तृत इमेजिंग में चिकित्सकों को मदद मिल सकती है, इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धि मशीन के किसी ब्रांड से ज्यादा यह है कि जिला अस्पताल को 1.5 Tesla स्तर की एमआरआई जांच सुविधा मिलने जा रही है,मशीन की उपयोगिता उसके कॉन्फिगरेशन,तकनीकी स्टाफ,सर्विस सपोर्ट और नियमित संचालन पर भी निर्भर करेगी।

जनरेटर की व्यवस्था भी,ताकि बिजली गई तो जांच न रुके-एमआरआई जैसी अत्याधुनिक मशीन के लिए बिजली की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति महत्वपूर्ण होती है, इसी वजह से परियोजना में 250 AMF कंट्रोल ष्ठत्र सेट के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाना जरूरी है,परियोजना में विद्युत आपूर्ति,अर्थिंग,यूपीएस और सुरक्षा वायरिंग जैसे कार्यों के लिए अलग से राशि रखी गई है। स्थापना के समय मशीन की तकनीकी विद्युत आवश्यकताओं और निर्माता की संचालन शर्तों का पालन भी महत्वपूर्ण होगा, यानी SECL की स्वीकृति में मशीन खरीदने के साथ उसके संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी ध्यान में रखा गया है।

सीटी स्कैन से सबक, इस बार खरीद और गुणवत्ता पर भी निगाह-बैकुण्ठपुर जिला अस्पताल को इससे पहले भी SECL के सीएसआर से अत्याधुनिक जांच सुविधा मिल चुकी है,SECL की वार्षिक रिपोर्ट में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर में 64-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद एवं स्थापना का उल्लेख मिलता है,ऐसे में एमआरआई की स्वीकृति जिले की डायग्नोस्टिक सुविधाओं में एक और बड़ा विस्तार है,करोड़ों रुपये की मशीन आने के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी,इस बार मशीन की खरीद से लेकर उसके स्पेसिफिकेशन, वारंटी,AMC,सर्विस सपोर्ट, तकनीकी स्टाफ और वास्तविक उपयोग तक हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी होगी,किसी पूर्व मशीन की गुणवत्ता या खरीद को लेकर बिना दस्तावेज आरोप लगाना उचित नहीं होगा,लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य परियोजना की सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि मशीन लगातार मरीजों के काम आए।

SECL का स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग नया नहीं-बैकुण्ठपुर में एमआरआई के लिए SECL का सीएसआर सहयोग अचानक सामने आया मामला नहीं है,कंपनी के पुराने सीएसआर रिकॉर्ड में भी जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर के लिए स्वास्थ्य संबंधी सहायता का उल्लेख मिलता है, SECL की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में जिला अस्पताल बैकुण्ठपुर में स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दर्ज है,हाल के सीएसआर रिकॉर्ड में भी बैकुण्ठपुर जिला अस्पताल के लिए 64-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की स्थापना दर्ज है,इससे यह संकेत मिलता है कि SECL के सीएसआर संसाधनों के जरिए क्षेत्र की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने का सिलसिला पहले से चलता रहा है,अब एमआरआई की स्वीकृति इस कड़ी को और आगे ले जाती है।

सिर्फ मशीन नहीं,स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा बदलने का अवसर-जिला अस्पताल में एमआरआई आने से अस्पताल की तस्वीर तभी बदलेगी जब इसके साथ पूरी व्यवस्था मजबूत की जाए,मशीन के लिए प्रशिक्षित तकनीशियन,रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता,मरीजों की समयबद्ध जांच,रिपोर्टिंग की व्यवस्था और नियमित रखरखाव जरूरी होंगे,यदि मशीन कुछ दिनों के बाद तकनीकी खराबी के कारण बंद रहने लगे या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हों,तो करोड़ों रुपये का निवेश अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा, इसके उलट यदि मशीन नियमित रूप से चले और मरीजों को समय पर रिपोर्ट मिले,तो यह सुविधा कोरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वास्तविक परिवर्तन साबित हो सकती है।

भैयालाल राजवाड़े के लिए भी यह एक राजनीतिक उपलब्धि-विधायक के लिए किसी विकास परियोजना को कागज से निकालकर स्वीकृति तक पहुंचाना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है,खासकर तब, जब परियोजना सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हो,भैयालाल राजवाड़े पहले मंत्री रह चुके हैं,अब वे विधायक हैं,पद बदला है,लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे पर सक्रियता बनाए रखने का दावा इस परियोजना के साथ फिर सामने आया है,हालांकि किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रयास का अंतिम मूल्यांकन जनता तब करती है,जब घोषणा और स्वीकृति के बाद काम वास्तव में जमीन पर दिखाई देता है। इसलिए एमआरआई परियोजना में भी राजनीतिक श्रेय से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका समय पर पूरा होना होगा।

अब जिले की नजर—मशीन कब आएगी और कब शुरू होगी?-18.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, परियोजना का दायरा तय है,मशीन 1.5 Tesla की होगी, जनरेटर,सिविल और विद्युत कार्यों के लिए भी बजट स्वीकृत है,जिला प्रशासन क्रियान्वयन एजेंसी है और स्वास्थ्य विभाग को परियोजना के क्रियान्वयन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है,अब अगला सवाल यही है कि मरीजों को इस सुविधा के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा,बैकुण्ठपुर के लिए यह केवल एक नई मशीन नहीं है,यह उस पुराने सवाल का जवाब बनने की कोशिश है कि क्या गंभीर बीमारी की जांच के लिए जिले के मरीजों को हर बार बड़े शहर जाना पड़ेगा? यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है और मशीन नियमित रूप से संचालित होती है,तो इस सवाल का जवाब काफी हद तक 'नहीं' हो सकता है।

'इलाज वाले बाबा' की अगली परीक्षा मशीन के चालू होने पर-भैयालाल राजवाड़े की पहल से एमआरआई की स्वीकृति मिलना निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब इस उपलब्धि का अगला अध्याय अस्पताल में लिखा जाना है,जिस दिन बैकुण्ठपुर जिला अस्पताल में पहला मरीज 1.5 Tesla एमआरआई के अंदर जांच के लिए जाएगा,उसी दिन कागज पर लिखी 18.65 करोड़ रुपये की परियोजना जमीन पर दिखाई देगी,फिलहाल 'इलाज वाले बाबा' की कहानी का पहला अध्याय पूरा हुआ है—मांग से मंजूरी तक, दूसरा अध्याय अब शुरू होना है—मंजूरी से मशीन तक,और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा अध्याय होगा—मशीन से मरीज तक,क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था में असली उपलब्धि किसी पत्र पर लगी मुहर नहीं,बल्कि उस मुहर से निकली सुविधा है जो जरूरत के समय मरीज के काम आए,18.65 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति सिर्फ एक मशीन की कीमत नहीं है; यह कोरिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अधिक सक्षम बनाने का अवसर है, अब निगाह इस बात पर रहेगी कि यह अवसर कितनी तेजी से हकीकत बनता है, और शायद यही वह वजह है कि भैयालाल राजवाड़े को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 'इलाज वाले बाबा' कहने वालों को एक बार फिर अपनी बात कहने का मौका मिल गया है,मंत्री पद हो या विधायक की कुर्सी—कम से कम स्वास्थ्य के मामले में उनका एजेंडा फिलहाल बदला हुआ दिखाई नहीं देता।

सूरजपुर जिला न्यायालय को मिली नई आवासीय सुविधा,मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल किया उद्घाटन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नवनिर्मित बंगले सहित न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर का हुआ लोकार्पण

-संवाददाता-

सूरजपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला न्यायालय सूरजपुर के न्यायिक अधिकारियों को अब बेहतर एवं सुविधायुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से जिला न्यायालय सूरजपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नवनिर्मित आवासीय बंगले तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए बनाए गए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के साथ सरगुजा जिले के पोर्टफोलियो जज पार्थ प्रतीम साहू तथा सूरजपुर जिले के पोर्टफोलियो जज राधाकिशन अग्रवाल भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे, सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का सहित जिले के समस्त न्यायिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक,अधिवक्तागण तथा जिला न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे, नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन के अवसर पर न्यायिक अधिकारियों एवं उपस्थित अतिथियों ने इसे जिला न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

बेहतर आवासीय सुविधा से कार्य-परिवेश होगा सुविधाजनक-मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने नवनिर्मित आवासीय भवनों के लिए न्यायिक अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं, उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने से उनके कार्य-परिवेश में सुविधा एवं सकारात्मकता आएगी,सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था न्यायिक अधिकारियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के साथ न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगी,उन्होंने उम्मीद जताई कि नई आवासीय सुविधाओं का लाभ न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा और इससे उनके कार्यों के निष्पादन में भी सुविधा होगी।

न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा सुविधायुक्त आवास-जिला न्यायालय सूरजपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए नवनिर्मित आवासीय परिसर तैयार होने से लंबे समय से आवश्यक आवासीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी,वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए निर्मित नया आवासीय बंगला भी न्यायिक प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराएगा,नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन के साथ जिला न्यायालय सूरजपुर के न्यायिक अधिकारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलने का रास्ता साफ हुआ है,इससे न्यायिक अधिकारियों के लिए कार्यस्थल के साथ आवासीय सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जताया आभार-कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का ने मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया,उन्होंने नवनिर्मित आवासीय परिसर एवं बंगले को जिला न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताते हुए कहा कि इससे न्यायिक अधिकारियों को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो सकेगा,वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही जिला न्यायालय सूरजपुर के नवनिर्मित न्यायिक आवासीय परिसर और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवासीय बंगले का औपचारिक लोकार्पण संपन्न हुआ,यह सुविधा जिले की न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कॉलोनी निर्माण और भवन निर्माण के लिए पंजीयन अनिवार्य

भूखंड खरीदने से पहले कालोनाइजर का पंजीयन,विकास अनुमति और स्वीकृत ले-आउट की जांच करें : जिला प्रशासन

-संवाददाता-
सूरजपुर,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम,1961 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के तहत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं,जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड अथवा भवन खरीदने से पहले संबंधित कालोनाइजर और निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। अधिनियम की धारा 339-क के तहत नगरपालिका परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में भूमि को भूखंडों में विभाजित कर कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति के लिए कॉलोनाइजर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य है,इसी प्रकार भवन अथवा अपार्टमेंट का निर्माण कर उसका विक्रय या अंतरण करने वाले भवन निर्माता के लिए भी नियमानुसार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी सजा का प्रावधान

जिला प्रशासन के अनुसार अवैध व्यपवर्तन अथवा अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में अधिनियम की धारा 339-ग के तहत तीन से सात वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, इसके अलावा न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान का आदेश भी दिया जा सकता है,ऐसे में बिना आवश्यक अनुमति और पंजीयन के कॉलोनी विकसित करना कॉलोनाइजर के साथ-साथ भूखंड खरीदने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है।

पांच वर्ष के लिए वैध होता है पंजीयन

नियमों के अनुसार कालोनाइजर का पंजीयन प्रमाण-पत्र पांच वर्ष के लिए वैध होता है, प्रत्येक कॉलोनी के विकास कार्य और भूखंडों के विक्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी से पृथक विकास अनुमति लेना आवश्यक है, केवल कालोनाइजर का पंजीयन होना ही पर्याप्त नहीं है,बल्कि संबंधित कॉलोनी के लिए विकास अनुमति और स्वीकृत ले-आउट की स्थिति की भी जांच जरूरी है, आवासीय कॉलोनियों के मामले में कुल भूमि का 15 प्रतिशत क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है, इसके साथ ही निर्धारित भूखंडों को कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण होने तक नगरपालिका के पास बंधक रखना भी अनिवार्य है।

भूखंड खरीदने से पहले दस्तावेजों की करें जांच- जिला प्रशासन ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, प्रशासन के अनुसार किसी भी कॉलोनी में भूखंड अथवा भवन खरीदने से पहले संबंधित नगरीय निकाय से कालोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति, स्वीकृत ले-आउट तथा संबंधित भूखंड की बंधक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए,प्रशासन ने कहा कि कई बार नागरिक आकर्षक दरों अथवा बेहतर सुविधाओं का दावा करने वाले विज्ञापनों के आधार पर भूखंड खरीद लेते हैं और बाद में कॉलोनी के अवैध होने अथवा आवश्यक अनुमतियां नहीं होने की जानकारी सामने आती है,ऐसी स्थिति में खरीदार को आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों के पालन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी कालोनाइजरों एवं भवन निर्माताओं से नगरपालिका अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने की अपील की है,साथ ही नागरिकों से भी कहा गया है कि भूखंड या भवन खरीदने में जल्दबाजी न करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित नगरीय निकाय से करने के बाद ही निर्णय लें,प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस नेतृत्व ने चरणदास महंत और ज्योत्स्ना महंत से की मुलाकात

प्रकाश चंद्र साहू ने सौंपा ज्ञापन,युवाओं,किसानों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा...जल्द निराकरण का मिला आश्वासन

-संवाददाता-
कोरिया,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

हसदेव नदी के पावन उद्गम स्थल मेण्ड्रा में आयोजित धार्मिक एवं जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र साहू ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत से मुलाकात की,इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा तथा समस्याओं के निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान प्रकाश चंद्र साहू ने क्षेत्र में युवाओं, किसानों और आम नागरिकों के सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को प्रमुखता से रखा,उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से जुड़ी कई आवश्यकताओं के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार एवं अवसर, किसानों से संबंधित समस्याएं तथा आम नागरिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है,यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने क्षेत्र के विकास को गति देने के साथ स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की मांग भी रखी, उनका कहना था कि क्षेत्र की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ नेतृत्व के समक्ष लगातार उठाया जाना जरूरी है, ताकि संबंधित विभागों के माध्यम से उनका समाधान कराया जा सके,इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं सांसद ज्योत्स्ना महंत ने प्रकाश चंद्र साहू द्वारा रखी गई मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना,उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सकारात्मक पहल करने तथा संबंधित विषयों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया,प्रकाश चंद्र साहू ने कहा कि क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाना उनकी प्राथमिकता है,उन्होंने कहा कि युवाओं,किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद जारी रहेगा,उनका प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं उचित मंच तक पहुंचें और उनके निराकरण के लिए ठोस पहल हो,मेण्ड्रा में हुई इस मुलाकात के दौरान धार्मिक आयोजन के साथ क्षेत्रीय विकास और जनसमस्याओं को लेकर भी संवाद हुआ,यूथ कांग्रेस नेतृत्व ने उम्मीद जताई कि वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से क्षेत्र की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

सावन की उमंग में झूमीं महिलाएं,महिला कांग्रेस ने मनाया सावन महोत्सव

सावन सुंदरी प्रतियोगिता में भारती सक्सेना ने मारी बाजी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मनोरंजक गतिविधियों ने बांधा समां

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी पार्क, झगराखांड में सावन महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया,कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों,कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की,सावन के पारंपरिक रंग में सजे आयोजन में महिलाओं ने सावन गीत,सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लेकर जमकर आनंद उठाया।

कार्यक्रम के दौरान सावन की लोक परंपरा और संस्कृति को जीवंत करते हुए महिलाओं ने गीत-संगीत की प्रस्तुतियां दीं, इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया,जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,पूरे आयोजन के दौरान महिलाओं के बीच आपसी मेल-जोल, सौहार्द और उत्साह का माहौल बना रहा।

भारती सक्सेना बनीं सावन सुंदरी- सावन महोत्सव का प्रमुख आकर्षण सावन सुंदरी प्रतियोगिता रही,प्रतियोगिता में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति,आत्मविश्वास और रचनात्मकता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया,प्रतियोगिता में भारती सक्सेना ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 'सावन सुंदरी' का खिताब अपने नाम किया, उनकी प्रस्तुति और सहभागिता की उपस्थित महिलाओं ने सराहना की,कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि सावन महोत्सव भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे आयोजन महिलाओं को एक मंच पर लाने के साथ-साथ लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री पूनम सिंह ने कहा कि महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित सावन महोत्सव महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है,इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं,पूर्व जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस शहर रूमा चटर्जी ने कहा कि सावन उमंग,उत्साह और आपसी प्रेम का पर्व है, महिला कांग्रेस भविष्य में भी महिलाओं को जोड़ने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को प्राथमिकता देती रहेगी,पूर्व जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस ग्रामीण निर्मला चतुर्वेदी ने कहा कि आज की व्यस्त जीवनशैली में ऐसे आयोजन महिलाओं को एक साथ बैठने, संवाद करने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर देते हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ऊषा करियाम ने कहा कि सावन हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है,ऐसे आयोजनों के माध्यम से पारंपरिक गीत-संगीत और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है, पूर्व पार्षद बबीता यादव ने आयोजन को महिलाओं के बीच आपसी प्रेम,भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाला बताया,उन्होंने कहा कि महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल और यादगार बना दिया।

बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं मौजूद- *सावन महोत्सव में महिलाओं ने सावन गीतों और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया तथा एक-दूसरे को सावन की शुभकामनाएं दीं, कार्यक्रम का समापन उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री पूनम सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस रूमा चटर्जी, निर्मला चतुर्वेदी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ऊषा करियाम, पूर्व पार्षद बबीता यादव,हमीदा खातून, ज्योति मजुमदार, किरण सिंह, स्नेहा सिंह, बेबी मखीजा, नमिता सिंह एवं नीलिमा श्यामल सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।*

बीएमएस के आह्वान पर श्रमिक हितों को लेकर सूरजपुर में जोरदार प्रदर्शन

-संवाददाता-
सूरजपुर,21 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत सूरजपुर जिला मुख्यालय में श्रमिक संगठनों ने धरना-प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कोल फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री सुजीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के बाद श्रमिकों ने विशाल रैली निकाली और गगनभेदी नारों के साथ प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक संगठनों ने श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी प्रावधानों को हटाने सहित कई मांगों को प्रमुखता से उठाया,आंदोलनकारियों ने स्कीम कर्मियों के मानदेय में वृद्धि,ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने तथा संविदा कर्मचारियों के लिए समान काम के समान वेतन लागू करने की मांग की,इसके अलावा ईएसआईसी के लिए वेतन सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने, बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने तथा न्यूनतम ईपीएफ वेतन सीमा को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने की मांग रखी गई, श्रमिक संगठनों ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने तथा बोनस पात्रता वेतन की सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाई,धरना प्रदर्शन के बाद श्रमिकों ने रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए,प्रदर्शनकारियों का कहना था कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन एवं सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए,इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विभिन्न अनुषांगिक संगठनों के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे,प्रदर्शनकारियों ने कहा कि श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा।

कम लागत में राखी बनाकर आजीविका को नई दिशा दे रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

सीजनल गतिविधियों के माध्यम से महिलाएं बन रही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं समूह के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत किशुन नगर की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मौसम और त्योहारों के अनुरूप सीजनल आजीविका गतिविधियां संचालित कर रही हैं। वर्तमान में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए समूह की महिलाएं घर में उपलब्ध सामग्री एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य सुश्री सोनाली सिंह ने बताया कि जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह में कुल 12 महिलाएं हैं। समूह की सभी महिलाएं मिलकर अलग-अलग सीजन के अनुसार आजीविका गतिविधियों का संचालन करती हैं। वर्तमान में राखी का सीजन होने के कारण समूह द्वारा राखी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। राखी बनाने में घर में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत कम रहती है। तैयार राखियों को विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाकर तथा घर से भी बिक्री किया जाता है। इससे प्राप्त आय को महिलाएं अपनी आजीविका को बढ़ाने में उपयोग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आजीविका के साधन भी सीमित थे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं को विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण एवं आजीविका गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने लगीं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। समूह की सदस्य सुश्री दीप्ति चौधरी ने बताया कि समूह द्वारा सीजन के अनुसार अलग-अलग गतिविधियां की जाती हैं। वर्तमान में राखी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राखी बनाने के लिए घर में उपलब्ध पुराने बीज, चावल, गेहूं एवं मक्के के दानों का उपयोग किया जाता है।

इन दानों को रंगकर आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा बाजार से रेशमी धागे, ऊन एवं अन्य आवश्यक सजावटी सामग्री खरीदी जाती है। इस तरह बहुत कम लागत में सुंदर एवं आकर्षक राखियां तैयार की जाती हैं। सुश्री चैधरी ने बताया कि समूह की महिलाएं अपने खाली समय में एक साथ बैठकर राखियां तैयार करती हैं। राखी के सीजन में मांग बढ़ने पर महिलाएं अधिक समय देकर उत्पादन करती हैं। तैयार राखियों को छोटे-छोटे स्टॉल के माध्यम से बाजार में बेचने के साथ-साथ घर से भी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से उन्हें राखी निर्माण एवं कम लागत में आजीविका गतिविधि संचालित करने का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला है। इससे घरेलू महिलाओं को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।

समूह की सदस्य सुश्री आशा रवि ने बताया कि समूह की महिलाएं पिछले लगभग तीन वर्षों से कम लागत में घरेलू सामग्री से राखियां तैयार कर रही हैं। इस कार्य में समूह की सभी महिलाएं मिलकर भागीदारी करती हैं। उन्होंने कहा कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद समूह की महिलाओं को विभिन्न रोजगार एवं आजीविका गतिविधियों से जुड़ने के अवसर मिले हैं। इससे महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कार्य करने, नई गतिविधियां सीखने तथा अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिला है।

कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया पॉलिटेक्निक एवं लाईवलीहुड कॉलेज अम्बिकापुर का निरीक्षण...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक एवं लाईवलीहुड कॉलेज, अम्बिकापुर का निरीक्षण कर आगामी नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर वसंत ने परीक्षा आयोजन के लिए निर्धारित 2 कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया। इन दोनों लैब में कुल 40 परीक्षार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम, परीक्षा कक्ष की व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का भी अवलोकन किया तथा परीक्षा के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने महिला एवं पुरुष शौचालयों का निरीक्षण करते हुए परीक्षा के दौरान नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला एवं पुरुष फ्रिस्किंग एरिया, प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था तथा परीक्षा केंद्र परिसर की समुचित व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।

रायगढ़ से दो मानव तस्कर गिरफ्तार,नाबालिग छात्रा और युवती को दिल्ली ले जा रहे थे...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के केरजू क्षेत्र से नाबालिग छात्रा और एक युवती को दिल्ली में अच्छी पगार पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। परिजनों ने दोनों की तलाश करते हुए उन्हें रायगढ़ में युवकों के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, रायगढ़ जिले के सिहारजोर निवासी विद्याभूषण लकड़ा और कमोसिनडांड, कापू निवासी देवलाल तिग्गा ने नाबालिग छात्रा और युवती को दिल्ली में रोजगार दिलाने का झांसा दिया था। दोनों उनके कहने पर बिना परिजनों को बताए घर से निकलकर युवकों के साथ चली गई थीं। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स संग रचाई शादी,गोवा में कराया मैरिज रजिस्ट्रेशन

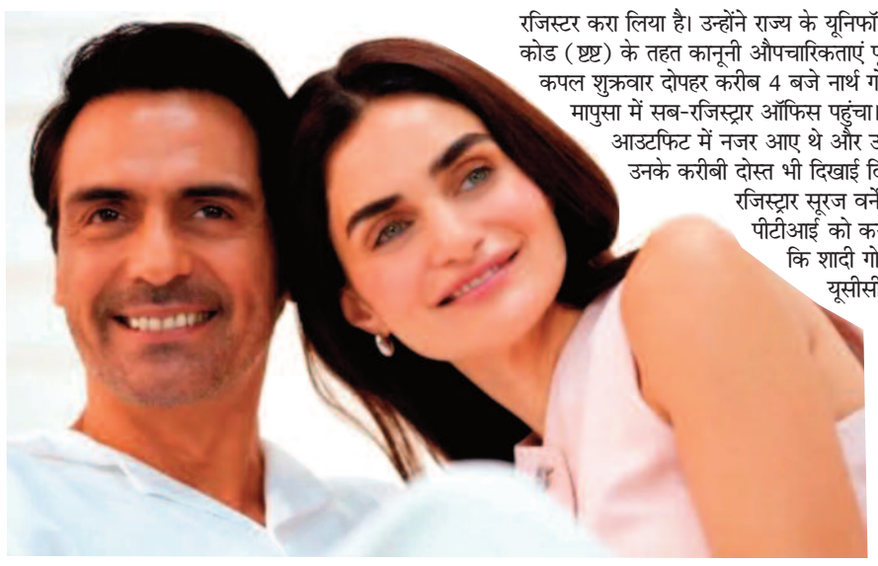

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ गोवा के रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराया है।

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने गोवा में अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करा लिया है। उन्होंने राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। यह कपल शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे नार्थ गोवा के मापुसा में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा। वे कैजुअल आउटफिट में नजर आए थे और उनके साथ उनके करीबी दोस्त भी दिखाई दिए। सब-रजिस्ट्रार सूरज वर्नेकर ने पीटीआई को कन्फर्म किया कि शादी गोवा के यूसीसी फ्रेमवर्क के तहत रजिस्टर की गई थी। दिसंबर 2025 में कपल ने अपडेट दी थी कि उन्होंने लंबे समय तक लिव-इन में रहने के बाद सगाई कर ली है।अर्जुन रामपाल की पत्नी बनीं गैब्रिएला डेमेट्रियड्स शादी के रजिस्ट्रेशन से पहले अर्जुन रामपाल ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ अपनी सगाई की पुष्टि की थी। यह पल पॉडकास्ट के ट्रेलर में दिखाया गया था, जिसके साथ कैप्शन था,शहर के सबसे कूल कपल को बधाई। अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रियड्स 2018 से साथ रह रहे हैं और इतने सालों में दोनों ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाया है।

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला के कितने बच्चे हैं

अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला डेमेट्रियड्स 2018 से साथ हैं। उनके दो बेटे हैं-अरिक,जिनका जन्म 2019 में हुआ था और अराव का जन्म 2023 में हुआ था। दोनों अक्सर अपने बच्चों के साथ देखे जाते हैं। पब्लिक फिगर होने के बावजूद, दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक निजी रखा है। बता दें कि गैब्रिएला डेमेट्रियड्स साउथ अफ्रीका में जन्मी और पली-बढ़ी हैं। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। बाद में उन्होंने फैशन डिजाइन की पढ़ाई की।

अर्जुन रामपाल ने की दूसरी शादी

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ रजिस्टर मैरिज करने से पहले अर्जुन रामपाल ने पूर्व सुपरमॉडल और एंटरप्रेन्योर मेहर जेसिया से हुई शादी की थी। उन्होंने 1998 में शादी की थी और उनकी दो बेटियां हैं-माहिका और मायरा। रामपाल और जेसिया ने 2018 में अलग होने की घोषणा की थी और बताया था कि यह फैसला आपसी सहमति और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ लिया गया है। 2019 में उनका तलाक हो गया और रामपाल ने कहा है कि वे अब भी अपनी बेटियों की परवरिश मिल-जुलकर और अच्छे ढंग से कर रहे हैं।

लंबे समय से अपनी इस एक आदत से जूझ रहे हैं सुनील शेट्टी,बोले...उससे कभी बाहर नहीं निकल पाया

अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने इंट्रोवर्ट स्वभाव के बारे में बात की है, जिसे वह अपनी कमी मानते हैं और अभिनय की दुनिया में इसे मुश्किल बताते हैं।

हर इंसान का अलग-अलग व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करना पसंद करते हैं तो कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होता।

अभिनेता सुनील शेट्टी का कहना है कि वह भी इंट्रोवर्ट स्वभाव के हैं।

हालांकि,वह इसे अपनी कमी मानते हैं। अभिनय की दुनिया में इंट्रोवर्ट होना काफी मुश्किल बात मानी जाती है, क्योंकि यहां कलाकार को कई कलाकारों के साथ काम करना पड़ता है।

एंकरिंग के नाम पर हो जाते हैं नर्वस

सुनील कहते हैं,मैं कभी लोगों से बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाया। जब भी मुझे कहीं एंकरिंग के लिए कहा जाता था तो मैं नर्वस हो जाता था। यह सच है कि फिल्मों में काम करते हुए इंट्रोवर्ट होने से काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कोई मुझसे कहता कि तुम्हें नाटक करना चाहिए तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपनी पंक्तियां भूल जाऊंगा। यह अजीब है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा स्वभाव है,यह एक ऐसी कमी है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पाया।

स्कूल के नाटक में बने थे पेड़

आगे अपने अभिनय सफर पर बात करते हुए सुनील कहते हैं कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट था,मुझे उसी कारण मौका मिला। उस समय हमारा सिनेमा बदलाव के दौर से गुजर रहा था। सीडी,डीवीडी आ रही थीं और सिनेमाघरों को चलाने के लिए फिल्मकारों को मास सिनेमा और एक्शन हीरो की जरूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इसलिए मुझे मौका मिला वर्ना मुझे एक्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता था। स्कूल में भी मैंने जो एकमात्र नाटक किया था, उसमें बस एक पेड़ बनकर खड़ा था।सुनील शेट्टी के काम की बात करें तो एक्टर बीते दिनों अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल में नजर आए थे। मूवी में उन्होंने येडा अन्ना का किरदार निभाया है। इसके अलावा उनकी हेरा-फेरी 3 में भी आने की चर्चा है लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

सिंगल टेक में शूट हुआ था दीपिका पादुकोण का रोंगटे खड़े करने वाला सीन

दीपिका पादुकोण काम को लेकर काफी प्रोफेशनल और इसका सबूत उन्होंने समय-समय पर अलग-अलग तरह के रोल करके दिया है। हाल ही में फिल्ममेकर शोभा संत ने फिल्म फेस्टिवल 2026 में दीपिका के एक खास सीन के बारे में दिलचस्प खुलासा किया। दीपिका पादुकोण ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई है। मॉडलिंग के बाद धीरे-धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में दीं और अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं।

इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाजवूद दीपिका पादुकोण अपनी मूवीज में मेहनत और लगन के साथ काम करती है, इसका सबूत दिया है उनके साथ काम करने वाली प्रोड्यूसर शोभा संत ने। जो हाल ही में फिल्म फेस्टिवल 2026 में शरीक हुईं...

सिंगल टेक में दिया ये सीन

पद्मावत मूवी का रोंगटे खड़े करने वाला जौहर सीन तो आपको याद ही होगा। फिल्म की प्रोड्यूसर शोभा संत ने बताया, दीपिका ने पद्मावत में जौहर सीन से पहले जो मोनोलॉग दिया, वो कमाल था, दीपिका का यह सीन सिंगल टेक में था हमने सीन के लिए पूरा एक दिन रखा था और दीपिका ने यह सीन महज सिंगल टेक में पूरा किया।

कुछ चीज होती हैं जिनमें वक्त लगता और इसीलिए हमने इसके लिए एक से डेढ़ दिन रखा लेकिन यह सीन आधे दिन में पूरा हो गया, अमूमन ऐसे सीन करने में वक्त लगता है, लेकिन हमारा टाइम बचा।

रणवीर और दीपिका की केमिस्ट्री

शोभा ने यह भी बताया कि रियल लाइफ में पति-पत्नी दीपिका और रणवीर की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी कमाल की रही है। उनकी केमिस्ट्री रामलीला से लेकर पद्मावत तक बेमिसाल रही। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं दोनों अपने काम को लेकर काफी प्रोफेशनल भी हैं।

दीपिका का वर्कफ्रंट

दीपिका की अपकमिंग फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ राका है,जिसे एटली बना रहे हैं। वहीं हाल ही में उनके रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में नजर आने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि वे अमृता के किरदार में नजर आ सकती हैं।

देश बचाने निकले दो बेबस दोस्त!

कुणाल खेमू की वाइब का मजेदार टीजर हुआ आउट

कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी एक्शन-कॉमेडी वाइब का टीजर जारी हो गया है। प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और कुणाल खेमू स्टारर यह मजेदार और थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है।

मेजन एमजीएम स्टूडियोज की नई बॉलीवुड एक्शन-कॉमेडी फिल्म वाइब का मजेदार टीजर जारी कर दिया गया है। कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी इस फिल्म की पहली झलक ने दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। टीजर में हंसी का तड़का,हाई-वोल्टेज एक्शन और मजेदार मोड़ों की भरपूर डोज देखने को मिलती है। कहानी दो साधारण दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी इच्छा के बिना एक बड़े राष्ट्रीय संकट के बीच फंस जाते हैं। यह टीजर साफ संकेत देता है कि दर्शकों को सिनेमाघरों में हास्य और रोमांच का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलने वाला है।

अनचाहे हीरो और अनपेक्षित मिशन

जब भी देश के सामने कोई गंभीर स्थिति खड़ी होती है तो आमतौर पर किसी प्रशिक्षित एजेंट या जांबाज सिपाही की जरूरत होती है। हालांकि वाइब में परिस्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं। फिल्म के मुख्य किरदार हार्दिक और बग्स किसी भी तरह से देशभक्ति के बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे किसी भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों दोस्तों की बेबसी और उलझन पूरे टीजर में जबरदस्त कॉमेडी पैदा करती है।

प्रीति जिंटा का बॉस-लेडी अवतार

टीजर का एक सबसे बड़ा आकर्षण अभिनेत्री प्रीति जिंटा का किरदार है। टीजर में वे बेहद आत्मविश्वास से भरपूर और मजबूत भूमिका में दिखाई दे रही हैं, जो पूरी स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं। उनके कड़े रवैये और दबदबे के कारण ही दोनों बेबस दोस्तों को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनका यह बॉस-लेडी अंदाज टीजर को एक अलग स्तर पर ले जाता है और दर्शकों के लिए काफी आकर्षक साबित होता है।

एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी का तड़का

वाइब के टीजर में केवल संवाद ही मजेदार नहीं हैं, बल्कि इसमें तेज रफ्तार कार चेज, हवाई एक्शन और कई अप्रत्याशित घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। टीजर का हर सीन यह स्पष्ट करता है कि यह फिल्म अजीबोगरीब परिस्थितियों में फंसे आम इंसानों की एक बहुत ही मनोरंजक कहानी होने वाली है, जिसमें कई सरप्राइज छिपे हुए हैं।

मजबूत स्टार कास्ट और रिलीज डेट

इस फिल्म का लेखन और निर्देशन खुद कुणाल खेमू ने किया है,जबकि इसका निर्माण कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले किया गया है। अभिनय की बात करें तो कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव के साथ डेब्यू कर रहीं वंशिका धीर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और अनुभवी अभिनेता यशपाल शर्मा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह मनोरंजक थ्रिलर-कॉमेडी 18 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

खेल समाचार

बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रीसा-गायत्री ने भारत का पहला मेडल किया पक्का

नई दिल्ली,21 अगस्त 2026। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारत का पहला मेडल पक्का हो गया है। शुक्रवार को महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने चीन की जिया यीफान और झांग शू शियान के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। इस गैर वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने 69 मिनट तक कड़ा मुकाबला किया और चीनी खिलाड़ियों को 16-21, 21-15, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद दोनों ही 23-23 साल की हैं। गायत्री दिग्गज खिलाड़ी रहे पुलेला गोपीचंद की बेटी हैं। भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में हारने के बाद वापसी की और अगले दोनों गेम को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। विश्व चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दोनों जोड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। यहां अलग से ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला नहीं होता है।

महिला डबल्स में 15 साल बाद मेडल

महिला डबल्स में 15 साल बाद भारत के खाते में विश्व चैंपियनशिप मेडल आया है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में हुए विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने घरेलू दर्शकों के अपार समर्थन के बीच पहला गेम हारने के बाद बेहतर स्मैश और साफ-सुथरे नेट प्ले के दम पर मैच का रुख पलट दिया।

चार बार की चैंपियन हैं जिया यीफान

चीन की जिया यीफान महिला डबल्स की दिग्गज खिलाड़ियों में एक हैं। उन्होंने 4 विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही उनके नाम ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल भी है। हालांकि उन्होंने ये मेडल चेन किंगचेन के साथ जीते थे। पिछले साल के अंत में चेन ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद से जिया की नई जोड़िदार झांग शू शियान बनीं।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग,नवा रायपुर,अटल नगर (केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	197815 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला मुंगेली के भठलीखुर्द– सेमरसल मार्ग में रहन नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	350.24
2	197832 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला खैरागढ बायपास मार्ग के राजनांदगांव कवर्धा मार्ग पर आमनेर नदी / मुस्का नाला/ मोती नाला पर पुल निर्माण कार्य में पहुंच मार्ग निर्माण का शेष कार्य।	314.16
3	197834 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपुर के पाराडोल से तेन्दुडांड मार्ग में हसदेव नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	896.43
4	197835 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला मनेन्द्रगढ चिरीमिरी भरतपुर में जिला स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण कार्य, जमा मद।	754.86
5	197837 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला मुख्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा (अंबिकापुर) के कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कुल 106 नग (2 नग एफ, 23 नग जी, 45 नग एच एवं 36 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह का निर्माण कार्य।)	1274.09
6	197839 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला रायगढ के तारापुर–टुण्ड्री मार्ग के माण्ड नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1381.74
7	197858 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला बिलासपुर के दगोरी– निपनिया मार्ग में शिवनाथ नदी पर चुराघाट के पास उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	1112.99
8	197860 द्वितीय आमंत्रण 18.08.2026	जिला बिलासपुर के पोडी– ऑक डी– लावर मार्ग के अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	638.52
9	197862 तृतीय आमंत्रण 18.08.2026	पुसौर में शासकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य, वा. स.से.फि. एवं विद्युतीकरण सहित।	283.50

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथी सं.क. 09 दिनांक 31.08.2026 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 03.09.2026 निर्धारित है। निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है ।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी0नं0 -26270880/5

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र में नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) अंकित है, जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम त्रियान्शी (TRIYANSHI) दर्ज हो गया है। मेरी पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम प्रियांशी (PRIYANSHI) है। अतः संबंधित अभिलेख में उक्त त्रुटिपूर्ण नाम को सुधारकर प्रियांशी (PRIYANSHI) अंकित किए जाने हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियमानुसार प्रस्तुत कर सकता है।

शपथकर्ता
धर्मजीत,आ. बुधराम
निवासी- प्रेमनगर,तहसील प्रेमनगर,
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./बी-121/2025-26

ईश्तहार/सूचना पत्र

आवेदक डी0के0सोनी पिता स्व0 रामजी प्रसाद सोनी,उम्र 46 वर्ष पेशा अधिवक्ता एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, नावापारा अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) द्वार इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम खैरबार तहसील अम्बिकापुर स्थित शासकीय बांकी बांध के मुख्य नहर की भूमि पर अनावेदकगण बुला पिता डेमरा उरांव एवं अन्य 12 व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। अतः अनावेदकगण को शासकीय अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जावे। वर्तमान मे उक्त प्रकरण उत्तरवादीगण (1) संतोष आ0 शिवशंकर सोनी, निवासी ग्राम खैरबार तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (2) मो. उसैद आ0 स्व0 हकीम मो. हब्बास (3) जी.सी.एस. स्कूल (4) मो. असलम आ0 अब्दूल गफूर अंसारी (5) मो. सलाम आ स्व0 फिरोज खान (6) प्रहार आ0 मुन्ना अंसारी (7) फिदाउन आ0 अब्दूल हकीम अंसारी (8) आफताब आ0 फिरोज अंसारी, अनावेदकगण क्रमांक 2 से 8 तक निवासी ग्राम श्रीगढ़ तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0) के इस न्यायालय में उपस्थिति के लिये प्रकरण दिनांक 22/10/2026 को नियत है।

अतः सभी अनावेदकगण को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 22/10/2026 को इस न्यायालय में दिन के 2:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें। नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अनावेदकगण के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा ।

आज दिनांक 04/08/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी । (कलेक्टर सरगुजा द्वारा आदेशित)

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक खुलभुल राम राजवाडे आ0. स्व. क्षत्रीराम राजवाडे निवासी कंचनपुर थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के खुलभुल राम राजवाडे, पिताजी आ0 स्व. क्षत्रीराम राजवाडे की दिनांक 08/11/1992 को स्थान कंचनपुर में मृत्यु हुई है ।

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 10/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/ब- 121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक घनश्याम दास आ0स्व0 जानकी निवासी कांतिप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4557/34 रकबा 0.018 हे0 भूमि को अनावेदक रूपेश अग्रवाल आ0 घनश्याम दास निवासी खरसिया रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 24.08.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस सायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक-17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/ब- 121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश कुमार अग्रवाल आ0स्व0 जीवन राम अग्रवाल व अन्य मुख्तारआम पंकज अग्रवाल आ0 घनश्याम दास अग्रवाल निवासी दरिमा मोड खरसिया रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4557/47 रकबा 0.018 हे0 भूमि को अनावेदक राजू अग्रवाल आ0घनश्याम दास अग्रवाल निवासी किसानपारा कान्तिप्रकाशपुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 65,00,000/- में सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 24/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-17/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अंबिकापुर-2,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

रा.प्र.क्र.202608021700003/
ब-21/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक घनश्याम दास आ0 स्व0 जानकी दास, निवासी ग्राम कांतिप्रकाशपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कांतिप्रकाशपुर स्थित व्यपवर्तित भूमि क्र 127/7, 127/9, 128/16, 128/20, 128/26, 129/7, 129/8, 129/14 रकबा क्रमशः 0.013, 0.005, 0.059, 0.009, 0.141, 0.178, 0.015, 0.121 हे0 कुल खसरा 08, कुल रकबा 0.541 हे0 भूमि को अनावेदकगण पंकज अग्रवाल आ0 घनश्याम दास, व अन्य 02, निवासी कांतिप्रकाशपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) को दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09/09/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 11/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार
अंबिकापुर-2

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

क्रमांक/3102 वाचक-2/2026
सूरजपुर दिनांक - 11/08/2026

ईश्तहार

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम/नगर मानी प0ह0नं0 तहसील सूरजपुर जिला - सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ0 कुसुम सिंह परस्ते पिता स्व0 शोभीत सिंह परस्ते जाति गोंड़ निवासी ग्राम मानी पोस्ट डेडरी थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला -सूरजपुर (छ0ग0) ने अपने मां बुद्धियारो पति शोभीत सिंह परस्ते का मृत्यु तिथि 03/10/ 2019 स्थान मानी के जन्म/मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति/आक्षेप हो तो वे स्वयं अथवा अपनें अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27/08/2026 दिन गुरूवार को उपस्थित होकर दावा /आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 11/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील

नायब तहसीलदार
उप तह.मानी,सूरजपुर

युवाओं को 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विष्णुदेव साय,कहा...छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में निवेश के नए अवसर,8 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव

रायपुर,21 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वैश्विक निवेशकों और आर्थिक जगत की प्रमुख हस्तियों के सामने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति,निवेश संभावनाओं और भविष्य की विकास रणनीति का रोडमैप प्रस्तुत किया। फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर,भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत देश-दुनिया की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में समान रूप से विकास हो रहा है। वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 6.31 लाख करोड़ रुपये रहा,जबकि आर्थिक वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,79,244 रुपये हो गई है। वर्ष 2026-27 के 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट में पूंजीगत व्यय,अधोसंरचना और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में युवा हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी की प्रतीक्षा करने वाले 'जॉब सीकर' नहीं,बल्कि 'जॉब क्रिएटर' बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक सीड फंड सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ युवाओं को तकनीक, नवाचार, कौशल और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने से न केवल नए व्यवसाय खड़े होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे।

हरित ऊर्जा और नए औद्योगिक क्लस्टर : ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पारंपरिक ऊर्जा के साथ हरित ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में करीब 4 हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। राज्य में 90 हजार से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। भिलाई में प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।

नवा रायपुर और राजनांदगांव के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह, राजनांदगांव का प्रस्तावित अंतरिक्ष विनिर्माण समूह, 142 एकड़ का दवा पार्क तथा वस्त्र एवं तैयार परिधान पार्क को राज्य की नई औद्योगिक दिशा के महत्वपूर्ण कदम बताया गया। कोरबा में लिथियम की खोज से बैटरी और नई ऊर्जा उद्योग की संभावनाएं भी बढ़ी हैं।

8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

साय ने बताया कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और एकल खिड़की व्यवस्था 2.0 लागू की गई है। पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर,इलेक्ट्रॉनिक्स,कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डेटा सेंटर,दवा उद्योग,वस्त्र,परिवहन एवं भंडारण, हरित ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।

बस्तर बनेगा राज्य की भविष्य की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बस्तर को राज्य की भविष्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार के बाद अब बस्तर में विकास, रोजगार और निवेश को गति दी जा रही है। करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की जा रही है। 421 बंद स्कूल दोबारा शुरू किए गए हैं, जबकि 34 लाख से अधिक लोगों की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की गई है। 3,513 करोड़ रुपये की जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना को बस्तर को उद्योग और बाजारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना बताते हुए उन्होंने कहा कि लघु वनोपज, औषधीय पौधों, मोटे अनाज और कृषि उत्पादों के स्थानीय प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है।

2030 तक 5 हजार नए उद्यम का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2030 तक 5 हजार नए उद्यम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके साथ ही 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। नवा रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन के तहत 100 एआई प्रयोगशालाएं, 5 उत्कृष्टता केंद्र और 300 से अधिक एआई आधारित नए उद्यमों को सहयोग देने की योजना है।

15 लाख एमएसएमई को लाभ की उम्मीद

उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू किया गया है। इसके तहत कम जोखिम वाले उद्योगों के मामलों में निर्धारित समयसीमा में निर्णय नहीं होने पर स्वतः अनुमति का प्रावधान किया गया है। आठ विभागों की 43 सेवाओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है। इससे करीब 15 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों के सामने छत्तीसगढ़ को ऐसे राज्य के रूप में प्रस्तुत किया,जहां प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा,भूमि,कुशल मानव संसाधन,बेहतर संपर्क सुविधाएं और निवेश अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास का अंतिम लक्ष्य केवल निवेश बढ़ाना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार,उद्यमिता और बेहतर आय के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार आर. कृष्णा दास, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल,आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

महतारी वंदन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा

11 शिक्षक-क्लर्क परिवार उठा रहे थे फायदा,सैलरी से होगी वसूली...

बिलासपुर,21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक में 11 सरकारी शिक्षक और बाबुओं को चिन्हित किया गया है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे थे। इतिहास एकीकृत बाल विकास परियोजना, बिल्हा की जांच में खुलासा हुआ है। अब बीईओ बिल्हा भूपेंद्र कौशिक ने इनसे वसूली का आदेश जारी कर दिया है। पैसा नहीं लौटाया तो सैलरी से रिकवरी की जाएगी। महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देती है। नियम साफ है-जिस परिवार में कोई सदस्य शासकीय सेवा में है,वह इस योजना के लिए अपात्र है। इसके बावजूद बिल्हा ब्लॉक के शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक,वर्ग-2, सहायक शिक्षक और क्लर्क के परिवार की महिलाओं ने नियमों को ताक पर रखकर फॉर्म भरकर पैसे लिए। कुछ मामलों में खुद शिक्षिका और महिला बाबू ही लाभ ले रही थीं। बिल्हा बीईओ भूपेंद्र कौशिक ने कहा कि शासकीय शिक्षक और बाबू होने के बाद भी महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वालों की पहचान महिला एवं बाल विकास विभाग ने की है। उनसे वसूली का आदेश जारी किया गया है। राशि जमा नहीं करने पर वेतन से रिकवरी की जाएगी। विभाग ने सभी 11 सेवकों को नोटिस भेजकर तुरंत राशि जमा करने को कहा है।

पुलिस की बड़ी लापरवाही..फंदे पर लटकी महिला को मृत समझ ताला लगाया 2 घंटे बाद खोला तो चल रही थी सांसें

बेमेतरा,21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में पुलिस ने फंदे पर लटकी महिला को बिना जांचे मृत समझ लिया और कमरे में ताला लगाकर थाने चली गई। करीब 2 घंटे बाद जब पुलिस दोबारा पहुंची और ताला खोला तो महिला जिंदा मिली,सांसें चल रही थीं। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। महिला को तुरंत अस्पताल के आईएसयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 7 में महिला के फंदे पर लटके होने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ठीक से जांच नहीं की और महिला को मृत मान लिया। इसके बाद कमरे को बंद कर ताला लगा दिया और टीम मर्ग की कार्रवाई के लिए थाने चली गई। करीब 2 घंटे बाद पुलिस टीम दोबारा मौके पर पहुंची। जब ताला खोला गया तो महिला जिंदा मिली। सांसें चल रही थीं। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला के जिंदा मिलने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए आईएसयू में भर्ती किया है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने महिला को ठीक से जांचे बिना ही मृत मान लिया और ताला लगा दिया।

अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी,मोर्फ-पतलू आईडी से वायरल,सिविल लाइन थाने में एफआईआर

रायपुर,21 अगस्त 2026। सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारियों समेत कई बड़े लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत जानकारी वाली पोस्ट शेयर करने के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने पोस्ट शेयर करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और उसे शेयर करने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि इन पोस्ट में छत्तीसगढ़ की जनता, समाज और प्रशासन से जुड़े लोगों के खिलाफ अभद्र और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इन अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ अधिकारियों के वीडियो भी शेयर कर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं।

छत्तीसगढ़ में आईएफएस अधिकारियों का बड़ा तबादला सरगुजा-बस्तर समेत नौ जिलों में नई जिम्मेदारी...

रायपुर,21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के व्यापक प्रशासनिक तबादले का आदेश जारी किया है। 21 अगस्त 2026 को जारी इस आदेश के तहत 2017 से 2023 बैच के कुल नौ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य वन संरक्षण, टाइगर रिजर्व प्रबंधन और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है।

सरगुजा और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में अहम बदलाव

तबादला सूची में सबसे प्रमुख बदलाव सरगुजा संभाग में देखने को मिला है। 2017 बैच के आईएफएस अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, बैकुंठपुर के उप संचालक पद से हटाकर हाथी रिजर्व, सरगुजा (अंबिकापुर) का उप संचालक बनाया गया है। वहीं 2023 बैच की अधिकारी श्वेता कंबोज को अंबिकापुर वनमंडल से स्थानांतरित कर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का उप संचालक नियुक्त किया गया है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व को मिला नया नेतृत्व: वन विभाग ने अचानकमार टाइगर रिजर्व में भी महत्वपूर्ण फेरबदल किया है। 2018 बैच के दिनेश कुमार पटेल को मोहला से स्थानांतरित कर लोरमी स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व का उप संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही 2019 बैच के गणेश यू.आर. को अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल, बिलासपुर का वनमंडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नई नियुक्तियां : बस्तर क्षेत्र के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी नए नेतृत्व की घोषणा हुई है। 2022 बैच के एस. नवीन कुमार को यहां के संचालक पद से हटाकर पश्चिम भानुप्रतापपुर का वन उप संरक्षक बनाया गया है। उनकी जगह 2023 बैच के गौतम पादीभर को गौरेला वनमंडल से स्थानांतरित कर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संचालक नियुक्त किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू रहेंगी। यह आदेश राज्यपाल के नाम से विशेष सचिव जे.पी. पाठक द्वारा जारी किया गया है।

माना जा रहा है कि इन तबादलों से छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और प्रादेशिक वन क्षेत्रों में संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों को नई गति मिलेगी।

मुंगेली,मोहला और रायगढ़ में भी बदले अधिकारी

प्रशासनिक दृष्टि से अन्य जिलों में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अभिनव कुमार को मुंगेली से मोहला का वन उप संरक्षक बनाया गया है। वहीं 2023 बैच के तनमय कौशिक को रायगढ़ वनमंडल से स्थानांतरित कर मुंगेली का वन उप संरक्षक नियुक्त किया गया है। यह बदलाव क्षेत्रीय वन प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अतिरिक्त प्रभार में संशोधन

आदेश के दूसरे भाग में 2011 बैच की वरिष्ठ अधिकारी स्टायलो मंडावी के अतिरिक्त प्रभार में संशोधन किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उम कुमार गुप्ता के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वे केवल जगदलपुर के प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) का प्रभार छोड़ेंगी, जबकि अन्य दायित्व यथावत रहेंगे। इसके अलावा सुमेध संजय सुरवणे को सुकमा से स्थानांतरित कर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर का उप संचालक बनाया गया है।

आईपीएल सट्टा नेटवर्क का खुलासा,खाईवाल सानू बेरीवाल गिरफ्तार

रायगढ़,21 अगस्त 2026। जिले में अवैध क्रिकेट सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 'ऑपरेशन क्लीन हंट' के तहत चक्रधरनगर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आईपीएल 2026 के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने करीब चार महीने से फरार चल रहे क्रिकेट सट्टा नेटवर्क से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में सानू बेरीवाल पिता स्वर्गीय ललित बेरीवाल उम्र 32 वर्ष निवासी पंचवटी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर रायगढ़, मोहित संथालिया पिता अजय संथालिया उम्र 19 वर्ष निवासी मोवा रायपुर और विजय कुमार देवांगन पिता स्वर्गीय सीताराम देवांगन उम्र 43 वर्ष निवासी थाना चक्रधरनगर रायगढ़ शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आईपीएल 2026 के दौरान

ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने की सूचना पर 'ऑपरेशन अंकुश' के तहत कार्रवाई की गई थी। 9 अप्रैल 2026 को साइबर थाना और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने बोईरदादर शालिनी स्कूल रोड स्थित गुरुकृपा प्रोविजन स्टोर में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस ने पंकज जयसिंह और जयदेव मित्रा को मोबाइल फोन के माध्यम से केकेआर और एलएसजी के बीच खेले जा रहे आईपीएल मुकाबले में हार-जीत पर रुपये का दांव लगवाते पकड़ा था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वे मुख्य खाईवाल सानू बेरीवाल के लिए क्रिकेट सट्टे का काम करते थे। सट्टे की रकम का लेन-देन यूपीआई के माध्यम से किया जाता था। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने पंचवटी नगर बोईरदादर निवासी कशिश बलानी को भी आईपीएल मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए पकड़ा था। पूछताछ में उसने भी सानू बेरीवाल के लिए लंबे समय से क्रिकेट सट्टे का काम करने और यूपीआई के माध्यम से रकम के लेन-देन की बात स्वीकार की थी। इन मामलों में थाना चक्रधरनगर में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने सानू बेरीवाल, मोहित संथालिया और विजय कुमार देवांगन के साथ मिलकर सट्टा संचालन की जानकारी दी थी। मामला दर्ज होने के बाद तीनों आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस टीम द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 21 अगस्त 2026 को पुलिस को आरोपियों के मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने क्रिकेट सट्टे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेंडम बयान के आधार पर सानू बेरीवाल के कब्जे से दो मोटोरोला मोबाइल, मोहित संथालिया से एक सैमसंग मोबाइल और विजय कुमार देवांगन से एक सैमसंग मोबाइल जब्त किया है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज

रायपुर,21 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया है। एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया और छात्रों के व्हाट्सऐप ग्रुपों में वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया। वहीं दोषियों की पहचान और पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार 20 अगस्त को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के छात्रों की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा आयोजित की जानी थी। परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले सुबह 9 बजे प्रश्नपत्र लीक होने की जानकारी सामने आई। छात्रों के बीच वायरल हुए प्रश्नपत्र को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत मिली। बताया गया कि डीन कार्यालय को सुबह करीब 9 बजे ईमेल के माध्यम से प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने वायरल प्रश्नपत्र की जांच कराई। जांच में पाया गया कि वायरल प्रश्नपत्र और वास्तविक परीक्षा पत्र के करीब 70 प्रतिशत प्रश्न आपस में मिलते-जुलते थे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने राहत की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। छात्रों का कहना था कि पेपर लीक जैसी घटना से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ता है। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी।

एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह से सांसद बृजमोहन अग्रवाल का नाम गायब!

रायपुर,21 अगस्त 2026। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह से पहले आमंत्रण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समारोह में उपराष्ट्रपति टी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, लेकिन आमंत्रण पत्र में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल का नाम शामिल नहीं होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा एम्स सलाहकार समिति के सदस्य विजय बघेल, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे का नाम भी अतिथियों की सूची में नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एम्स रायपुर का तीसरा दीक्षांत समारोह आगामी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में देश के उपराष्ट्रपति टी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, एम्स रायपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) संजीव हांडा और कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (सेवानिवृत्त) मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए एम्स प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंच व्यवस्था, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम आमंत्रण पत्र में नहीं होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों का कहना है कि रायपुर के सांसद का नाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में होना चाहिए था। उनका तर्क है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और एम्स जैसी केंद्रीय संस्था के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष आयोजित एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का नाम आमंत्रण पत्र में शामिल नहीं किया गया था। उस समय भी इस मामले को लेकर नाराजगी सामने आई थी।

इससे पहले रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी दीक्षांत समारोहों में अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद रहते थे। खास बात यह है कि वर्तमान में केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम आमंत्रण सूची में नहीं होने से समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)